इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026–पौष 26, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अनुष्का चौधरी पिता अर्जुन चौधरी (ANUSHKA CHOUDHARY D/o. ARJUN CHOUDHARY), निवासी– म. नं. 297, वार्ड नं. 14, बजरंग मोहल्ला, अकबरपुर, देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश गोपी पटेल पुत्री सचिन पटेल (GOPI PATEL D/o. SACHIN PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम अनुष्का चौधरी पिता अर्जुन चौधरी (ANUSHKA CHOUDHARY D/o. ARJUN CHOUDHARY) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अर्जुन चौधरी)
पुत्र– बेबी बाई चौधरी.

(G-377)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णकाँत साहू पिता नेतराम साहू (KRISHNAKANT SAHU S/o. NETRAM SAHU) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित साहू पिता नेतराम साहू (ANKIT SAHU S/o. NETRAM SAHU) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णकाँत साहू पिता नेतराम साहू (KRISHNAKANT SAHU S/o. NETRAM SAHU) उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म–प्रमाण पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को कृष्णकाँत साहू पिता नेतराम साहू (KRISHNAKANT SAHU S/o. NETRAM SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे,

आवेदक

(नेतराम साहू)
आत्मज– श्री गणेश राम
निवासी– मुख्य बाजार पठारी, तहसील पठारी,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-378)

नाम परिवर्तन

मैं, पंकज सेन पिता कन्हैयालाल, निवासी– मकान नंबर 59, ग्राम लखमी, तहसील जीरन, जिला नीमच (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शाला रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में नाम शिवम सेन (SHIVAM SEN) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश स्नेहा (SANEHA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्र को शिवम सेन (SHIVAM SEN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पंकज सेन)
पिता– कन्हैयालाल.

(G-379)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दीपक जायसवाल (DEEPAK JAISWAL), निवासी– मकान नंबर 133, मनुश्री नगर, एरोड्रम रोड, इंदौर (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज में मेरा नाम दीपक कजोडिया (DEEPAK KAJODIYA) दर्ज है. मेरे बच्चों के शाला रिकार्ड में मेरा नाम दीपक जायसवाल (DEEPAK JAISWAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे दीपक जायसवाल (DEEPAK JAISWAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दीपक कजोडिया)
(DEEPAK KAJODIYA)

नया नाम
(दीपक जायसवाल)
(DEEPAK JAISWAL).

(G-380)

नाम परिवर्तन

मैं, बबलू विश्वकर्मा पुत्र नर्वदा विश्वकर्मा, निवासी– ग्राम पोस्ट छातेर, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश बबलू विश्वकर्मा (BABLU VISHWAKARMA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में आनामी विश्वकर्मा (AANAMI VISHWAKARMA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में आनामी विश्वकर्मा (AANAMI VISHWAKARMA) पुत्री बबलू विश्वकर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बबलू विश्वकर्मा).

(G-381)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामलाल पिता शम्भूलाल सूर्यवंशी, निवासी– ग्राम गुराडिया विजय, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र विकास का पूर्व नाम विशाल सूर्यवंशी था, जो कि आधार कार्ड, समग्र आई.डी आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर नया नाम विकास रख लिया है, जो कि अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को विशाल सूर्यवंशी के स्थान पर विकास के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(श्यामलाल).

(G-382)

उपनाम परिवर्तन

मैं, गिरिजेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया, निवासी– ग्राम उदयनगर, तहसील उदयनगर, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश गिरिजेन्द्रसिंह वर्मा दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम गिरिजेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में गिरिजेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया के नाम से ही जाना एवं पहचाना एवं अन्य समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गिरिजेन्द्रसिंह वर्मा)	**(गिरिजेन्द्रसिंह सिसोदिया)**
पिता– कौशलसिंह वर्मा	पिता– कौशलसिंह सिसोदिया.

(G-383)

उपनाम परिवर्तन

मैं, राधाकिशन कुमावत, निवासी– ग्राम भालोट, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरा पूर्व में नाम राधाकिशन धनराज था, जो कि मेरे वोटर आई.डी. व आई.डी.बी.आई. की बैंक पास बुक में दर्ज है. मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राधाकिशन कुमावत दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राधाकिशन धनराज के स्थान पर राधाकिशन कुमावत के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधाकिशन धनराज)	**(राधाकिशन कुमावत)**
	पिता– धनराज कुमावत.

(G-384)

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम ठाकुर पिता झामसिंह ठाकुर, निवासी– ग्राम सुनहरा, पोस्ट खैररांजी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम नूतन ठाकुर पिता घनश्याम ठाकुर है. मेरी पुत्री का नाम नूतन ठाकुर उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं स्कूल अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश साक्षी ठाकुर दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम नूतन ठाकुर है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(घनश्याम ठाकुर)
पिता– झामसिंह ठाकुर.

(G-385)

उपनाम परिवर्तन

मैं, धीरज जोशी पिता सुन्दरलाल जी जोशी, निवासी– म. नं. 43, कालीदास मार्ग, नीमच सिटी, जिला नीमच (म.प्र.) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम धीरज जोशी पिता सुन्दरलाल (DHEERAJ JOSHI S/o. SUNDAR LAL) दर्ज है, जो कि मेरा सही नाम है मेरा नाम आधार कार्ड में व अन्य समस्त दस्तावेजों में त्रुटिवश धीरज पिता सुन्दरलाल (DEERAJ S/o. SUNDAR LAL) दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम बदलकर धीरज जोशी पिता सुन्दरलाल जोशी (DHEERAJ JOSHI S/o. SUNDAR LAL JOSHI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे धीरज जोशी पिता सुन्दरलाल जोशी (DHEERAJ JOSHI S/o. SUNDAR LAL JOSHI) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं शासकीय व अर्द्धशासकीय, आधार कार्ड, शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धीरज)	**(धीरज जोशी)**
(DEERAJ)	**(DHEERAJ JOSHI)**
पिता– सुन्दरलाल	पिता– सुन्दरलाल जोशी
S/o. SUNDAR LAL	S/o. SUNDAR LAL JOSHI.

(G-386)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया, निवासी– ग्राम उदयनगर, तह. उदयनगर, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश सुरेन्द्रसिंह वर्मा दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता कौशलसिंह सिसोदिया के नाम से ही जाना–पहचाना व समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे

पुराना नाम

(सुरेन्द्रसिंह वर्मा)
पिता– कौशलसिंह वर्मा

नया नाम

(सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया)
पिता– कौशलसिंह सिसोदिया.

(G-387)

नाम परिवर्तन

मैं, आलोक सिंह चौहान पुत्र जितेन्द्र सिंह चौहान, निवासी– ग्राम देवगवां, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रणविजय प्रताप (RANVIJAY PRATAP) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं समस्त शैक्षिणक दस्तावेजों में आलोक सिंह चौहान (ALOK SINGH CHAUHAN) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम आलोक सिंह चौहान (ALOK SINGH CHAUHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रणविजय प्रताप)
(RANVIJAY PRATAP)

नया नाम

(आलोक सिंह चौहाना)
(ALOK SINGH CHAUHAN).

(G-388)

नाम परिवर्तन

मैं, सद्दाम खां पिता शब्बीर खां, पता– ग्राम हिड़ी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र आशिक खां मंसूरी जिसका जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में आशिक खां मंसूरी नाम दर्ज है, जो कि सही है. जबकि उसके आधार कार्ड में अरमान पिता सद्दाम खां दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को आशिक खां मंसूरी नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सद्दाम खां)
पिता– शब्बीर खां.

(G-389)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम सत्यभान पिता कृष्णपाल सिंह (SATYABHAN SINGH S/o. KRISHNPAL SINGH) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश सोरभ सिंह यादव (SOURABH SINGH YADAV) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम सत्यभान पिता कृष्णपाल सिंह (SATYABHAN SINGH S/o. KRISHNPAL SINGH) जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सत्यभान पिता कृष्णपाल सिंह (SATYABHAN SINGH S/o. KRISHNPAL SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कृष्णपाल सिंह)
आत्मज– श्री बबूलाल सिंह
निवासी– म.नं.– 73. सिंघाडा, सिंघाडा, अशोक नगर (म.प्र.).

(G-390)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम राधिका यादव पिता शिशुपाल सिंह (RADHIKA YADAV D/o. SHISHUPAL SINGH) है. परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश खुशी यादव (KHUSHI YADAV) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम राधिका यादव पिता शिशुपाल सिंह (RADHIKA YADAV D/o. SHISHUPAL SINGH) है. उसके जन्म प्रमाण--पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को राधिका यादव पिता शिशुपाल सिंह (RADHIKA YADAV D/o. SHISHUPAL SINGH) के नाम से जाना--पहचाना, लिखा--पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शिशुपाल सिंह)
आत्मज-- श्री शैतान सिंह
निवासी-- मकान नं. 73, सिंघाडा, पिपरई, सिंघाडा,
अशोक नगर (म.प्र.).

(G-391)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सोरठ (SORATH) पति अमित उतरादि था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा सही नाम मीत उतरादि (MEET UTRADHI) पति अमित उतरादि कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम मीत उतरादि (MEET UTRADHI) पति अमित उतरादि के नाम से जाना--पहचाना, लिखा--पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सोरठ)
(SORATH)

नया नाम
(मीत उतरादि)
(MEET UTRADHI)
पति-- अमित उतरादि
पता-- 95--बी अहिल्या नगर, अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-392)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम चिंतामनी यादव (CHINTAMANI YADAV) पति राजीव यादव है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, परन्तु मेरे पुत्र अभिमन्यु यादव एवं आशुतोष यादव के जन्म प्रमाण--पत्र में त्रुटिवश नाम शिखा यादव (SHIKHA YADAV) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे तथा मेरे पुत्रों के सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम चिंतामनी यादव (CHINTAMANI YADAV) पति राजीव यादव के नाम से जाना--पहचाना, लिखा--पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिखा यादव)
(SHIKHA YADAV)

नया नाम
(चिंतामनी यादव)
(CHINTAMANI YADAV)
पति-- राजीव यादव
पता-- 2/4 बी महेश गार्ड लाइन
इन्दौर (म.प्र.).

(G-393)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम गायत्री ठाकुर (GAYATRI THAKUR) पिता राहुल ठाकुर है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राहुल ठाकुर (RAHUL THAKUR) पिता राहुल ठाकुर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम गायत्री ठाकुर (GAYATRI THAKUR) पिता राहुल ठाकुर लिखा--पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना--पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राहुल ठाकुर)
पता– 53, पानदा, पांडा, महू,
जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-394)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम पूजा बैरागी (POOJA BAIRAGI) पिता पुरूषोत्तम दास बेरागी है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम नंदनी (NANDNI) पिता पुरूषोत्तम दास दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में नंदनी के स्थान पर उसका सही नाम पूजा बैरागी (POOJA BAIRAGI) पिता पुरूषोत्तम दास बेरागी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पुरूषोत्तम दास बेरागी)
पता-- कानकुंड, अवाल्या पिपल्या,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-395)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मालवा फ्रोजन फूड, 347 K, आदर्श कॉलोनी, पेटलावद रोड, बदनावर, जिला धार जिसका पंजीयन नंबर 03–28–02–0362–23, दिनाक 05 दिसम्बर 2023 है. इस फर्म में निम्न भागीदार थे. 1. सलमान कुरैशी पिता श्री रज्जू कुरैशी, 2. सुमीत जैन पिता श्री दौलत कुमार जैन, 3. अंकित जैन पिता श्री दौलत कुमार जैन 4. आदित्य कुमार पिता श्री अजय कुमार, दिनाक 27 दिसम्बर 2025 को सभी भागीदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि श्रीमती रेखा देवी अग्रवाल पति श्री राजेश अग्रवाल एवं राजेश अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल को फर्म में नया भागीदार बनाया जाये. आदित्य कुमार पिता श्री अजय कुमार अपनी स्वेछा से फर्म से प्रथक् होना चाहते थे. अतः आदित्य कुमार पिता श्री अजय कुमार को फर्म से प्रथक् किया गया है. दिनाक 27 दिसम्बर 2025 से फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे.–

1. सलमान कुरैशी पिता श्री रज्जू कुरैशी, 2. सुमीत जैन पिता श्री दौलत कुमार जैन, 3. अंकित जैन पिता श्री दौलत कुमार जैन, 4. राजेश अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल, 5. श्रीमती रेखा देवी अग्रवाल पति श्री राजेश अग्रवाल.

वास्तेः मेसर्स मालवा फ्रोजन फूड

अंकित जैन
(भागीदार).

(G-396)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम शर्मिला (SHARMILA) था, जिसे परिवर्तित कर शर्मिष्ठा दुबे (SHARMISTHA DUBEY) पति विरेन्द्र कुमार दुबे कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे शर्मिष्ठा दुबे पति विरेन्द्र कुमार दुबे के नाम से ही जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों मे मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(शर्मिष्ठा दुबे)
पति– विरेन्द्र कुमार दुबे
पता– 10, विजय नगर, खंडवा तहसील, जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-397)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम यशराज सिंह (YASHRAJ SINGH) है. यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तनु राणा (TANU RANA) दर्ज हो गया है. यशराज सिंह (YASHRAJ SINGH) और तनु राणा (TANU RANA) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र तनु राणा (TANU RANA) के स्थान पर यशराज सिंह (YASHRAJ SINGH) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे यशराज सिंह (YASHRAJ SINGH) पुत्र विक्रम राणा के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(विक्रम राणा)
पुत्र– बाबू सिंह राणा
निवासी–ग्राम सूखा पठा, इकोना, पिछोर,
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-398)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद समद (MOHAMMAD SAMAD) है, यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम समद (SAMAD) दर्ज हो गया है. मोहम्मद समद (MOHAMMAD SAMAD) और समद (SAMAD) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को समद (SAMAD) के स्थान पर मोहम्मद समद (MOHAMMAD SAMAD) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे मोहम्मद समद (MOHAMMAD SAMAD) पुत्र मोहम्मद शमशाद के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(मोहम्मद शमशाद)
पुत्र– मोहम्मद इकसाद
निवासी– अवाडपुरा नं. 2, केशव सिंह के मंदिर के पास,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-399)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शुभम माहौर (SHUBHAM MAHOUR) है. यही नाम मेरे वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. एवं बैंक पासबुक आदि में दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राकेश माहौर (RAKESH MAHOR) दर्ज हो गया है. शुभम माहौर (SHUBHAM MAHOUR) और राकेश माहौर (RAKESH MAHOR) मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश माहौर (RAKESH MAHOR) के स्थान पर शुभम माहौर (SHUBHAM MAHOUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राकेश माहौर)
(RAKESH MAHOR)

नया नाम

(शुभम माहौर)
(SHUBHAM MAHOUR)
पुत्र– नंदराम माहौर
निवासी– गली नं. 03, राम नगर, शंकर चौक मुडिया पहाड,
नाका चन्द्रवनी, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-400)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम लता शर्मा (LATA SHARMA) है, जो कि मेरे पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं मेरे पति के पेंशन रिकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रमेश कुमारी शर्मा (RAMESH KUMARI SHARMA) दर्ज हो गया है. लता शर्मा (LATA SHARMA) और रमेश कुमारी शर्मा (RAMESH KUMARI SHARMA) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कुमारी शर्मा (RAMESH KUMARI SHARMA) के स्थान पर लता शर्मा (LATA SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रमेश कुमारी शर्मा)

नया नाम

(लता शर्मा)
पत्नी– स्वर्गीय श्री गोकरण प्रसाद शर्मा
निवासी– 54/1172, भारद्वाज हाउस, गुढा,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-401)

नाम परिवर्तन

मेरे पति छविराम गोयल, जो कि आर्मी में सेवारत् थे. मेरे पति के आर्मी रिकॉर्ड में मेरा नाम पूनाबाई दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम पूनम देवी दर्ज है. मेरा सही नाम पूनाबाई है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे पूनाबाई पत्नी छविराम गोयल के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(पूनाबाई)
पत्नी– श्री छविराम गोयल
निवासी– 272, गौतम नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-402)

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Choubey S/o. Mahadev Prasad Choubey here by Declare That I, have changed My name as Rakesh Choubey S/o. Mahadev Prasad Choubey. so, from now and in future I will be known by my new name Rakesh Choubey S/o. Mahadev Prasad Choubey.

Old Name

(Rajesh Choubey)

New Name

(Rakesh Choubey)
S/o. Mahadev Prasad Choubey
Add.- Naya Bazar, Near DAV School,
Lashkar City, Gwalior (M.P.).

(G-403)

CHANGE OF NAME

I, Keshav Kumar Jha S/o. Prem Kumar Jha here by Declare That I, have changed My Son name as Vivaan Kumar Jha Father Late Shri Nitin Verma Guardian Father Shri Keshav Kumar Jha so, from now and in future I will be known by my Son new name is Vivaan Kumar Jha Father Late Shri Nitin Verma Guardian Father Shri Keshav Kumar Jha.

Old Name

(Keshav Kumar Jha)
S/o. Prem Kumar Jha

New Name

(Vivaan Kumar Jha)
Late Shri Nitin Verma
Add.- 269-K, Jawahar Marg, Rajmohalla,
Indore(M.P.).

(G-404)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मुकेश किरार (MUKESH KIRAR) है, यही नाम मेरे वोटर कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुकेश राजपूत (MUKESH RAJPUT) दर्ज हो गया है. मुकेश किरार (MUKESH KIRAR) और मुकेश राजपूत (MUKESH RAJPUT) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश राजपूत (MUKESH RAJPUT) के स्थान पर मुकेश किरार (MUKESH KIRAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मुकेश राजपूत)
(MUKESH RAJPUT)

नया नाम

(मुकेश किरार)
(MUKESH KIRAR)
पुत्र– अशोक सिंह
निवासी– श्रीराम विहार कॉलोनी, गोल पहाड़िया,
शांति हाई स्कूल, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-405)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम पुष्पलता पांडे (PUSHPLATA PANDE) है, जो कि मेरे पासपोर्ट, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पैन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम PUSP LATA PANDE एवं आधार कार्ड में पुष्पा लता पांडे (PUSHPA LATA PANDE) दर्ज हो गया है. PUSP LATA PANDE/ PUSHPA LATA PANDE और PUSHPLATA PANDE मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे पुष्पलता पांडे (PUSHPLATA PANDE) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(PUSP LATA PANDE / PUSHPA LATA PANDE)

नया नाम

(पुष्पलता पांडे)
(PUSHPLATA PANDE)
पत्नी– प्रमोद कुमार पांडे
निवासी– 204, फेस–3 गार्डन होम्स, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-406)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम शिवानी शिवहरे (SHIVANI SHIVHARE) है, यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों जाति प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रक्षा शिवहरे (RAKSHA SHIVHARE) दर्ज हो गया है. शिवानी शिवहरे (SHIVANI SHIVHARE) और रक्षा शिवहरे (RAKSHA SHIVHARE) दोनो नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम रक्षा शिवहरे (RAKSHA SHIVHARE) के स्थान पर शिवानी शिवहरे (SHIVANI SHIVHARE) पुत्री भरत शिवहरे के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भरत शिवहरे)
पुत्र– शंकर लाल शिवहरे
निवासी– ग्राम ऐंचवाड़ा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(G-407)

CHANGE OF NAME

In all my government and non &government documents, my father name is recorded as Ramsevak where as my father's correct name is Sevak. This correct name is recorded in all of my father's own government and non&government documents- Ramsevak & Sevak are one and the same person and both refer to my father. Following the publication of this notice, my father's name should be read, written and recorded as Sevak instead of Ramsevak in all my government and non & government documents.

Old Name

(Dinesh)
S/o. Ramsevak

New Name

(Dinesh)
S/o. Sevak
Add.- Hujrat Road, Lashkar, Gwalior (M.P.).

(G-408)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम नाहर सिंह (NAHAR SINGH) है, यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संजीव सिंह (SANJEEV SINGH) दर्ज हो गया है. नाहर सिंह (NAHAR SINGH) और संजीव सिंह (SANJEEV SINGH) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव सिंह (SANJEEV SINGH) के स्थान पर नाहर सिंह (NAHAR SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संजीव सिंह)
(SANJEEV SINGH)

नया नाम
(नाहर सिंह)
(NAHAR SINGH)
पुत्र– फेरन सिंह
निवासी– 4 मजरा हरिराम का पुरा,
अटेर, भिण्ड (म.प्र.).

(G-409)

नाम परिवर्तन

मै, रमेश कुमार चंदेवाल (RAMESH KUMAR CHANDEWAL), पता– बी. 64, रामायण साउथ एवेन्यू फेज–2, कटारा हिल्स, पोस्ट बागमुगालिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों मे मेरा नाम रमेश चंदेवाल RAMESH CHANDEWAL भी अंकित है. वर्तमान में मेरा मध्य नाम कुमार KUMAR हटाया जाकर रमेश चंदेवाल (RAMESH CHANDEWAL) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रमेश चंदेवाल (RAMESH CHANDEWAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(रमेश कुमार चंदेवाल)
(RAMESH KUMAR CHANDEWAL).

(G-410)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री लक्ष्मी भील LAXMI BHIL का नाम आधार कार्ड में अंग्रेजी में MUSKAN दर्ज था, जिसे परिवर्तित कर लक्ष्मी भील LAXMI BHIL कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को लक्ष्मी भील LAXMI BHIL के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजो मे मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राजेश भील)
पिता– श्री रमेश
निवासी– ग्राम धनगांव तह एवं जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-411)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र निर्णय यदुवंशी NIRNAY YADUWANSHI का पूर्व में नाम हनु यदुवंशी HANU YADUVANSHI था. जिसे परिवर्तित कर निर्णय यदुवंशी NIRNAY YADUWANSHI कर दिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को निर्णय यदुवंशी NIRNAY YADUWANSHI के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में मेरे पुत्र का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(उमेश यदुवंशी)
पिता श्री राजाराम यदुवंशी
पता– वार्ड नं 09, गुरुगोविंद बगीचे के सामने, पंजाब कालोनी,
खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-412)

नाम परिवर्तन

मैं, कंकुबाई मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कमला बाई बलाई (KAMLA BAI BALAI) दर्ज हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में कंकुबाई (KANKUBAI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम कंकुबाई (KANKUBAI) सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना--पहचाना एवं लिखा--पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमला बाई बलाई)	(कंकुबाई)
(KAMLA BAI BALAI)	**(KANKUBAI)**
	पता-- म. नं. 55, ग्राम बिबडोद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-413)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S KEDARESHWAR ENERGY STATION जो SURVEY NO. 36/2/2, VILLAGE BANDHA POST SONKHARA, GUNA (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–40-01--0115--24 एवं दिनांक 16 जुलाई 2024 है, जिसमें दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को भागीदार श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी– मंगल भवन महू वाले, भजन सेठ कि कोठी के पास, वार्ड नं. 03. सिसोदिया कॉलोनी, गुना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गये एवं इसी दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को श्री दिवयांश अग्रवाल पुत्र श्री दीपक कुमार अग्रवाल, निवासी– वॉर्ड 03 सिसोदिया कॉलोनी, मंगल भवन महू वाले, गुना (म.प्र.). फर्म मे नवीन भागीदार के रूप मे सम्मिलित हो गये.

M/S KEDARESHWAR ENERGY STATION

अभिषेक मंगल
(भागीदार)
SURVEY NO. 36/2/2, VILLAGE BANDHA,
POST SONKHARA, GUNA (M.P.).

(G-414)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुपमा हार्डिया पत्नी श्री विनोद मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अनुपमा हार्डिया (Anupama Hardiya) तथा कुछ दस्तावेजों में अनुराधा हार्डिया (Anuradha Hardiya) दर्ज है. अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी दस्तावेजों में अनुपमा हार्डिया (Anupama Hardiya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा--पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनुराधा हार्डिया)	(अनुपमा हार्डिया)
(Anuradha Hardiya)	**(Anupama Hardiya)**
	पत्नी– श्री विनोद
	पता– 157/12, भोलाराम उसताद मार्ग, शिवपुरी कॉलोनी के पास, पिपलिया राव, इंदौर, (म.प्र.).

(G-415)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र चौधरी (DEVENDRA CHAUDHARY) पुत्र श्री यदुनाथ सिंह चौधरी, मेरा पूर्व का नाम देवेन्द्र प्रताप सिंह चौधरी एवं डी पी सिंह चौधरी और देवेन्द्र पी सिंह चौधरी (DEVENDRA PRATAP SINGH CHAUDHARY AND D P SINGH CHAUDHARY OR DEVENDRA P SINGH CHAUDHARY) शॉर्ट में गलती से मेरे रिलायंस के शेयरों में लिखा गया था, जो कि गलत है. वर्तमान एवं भविष्य में मैं, देवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री यदुनाथ सिंह चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. देवेन्द्र चौधरी एवं देवेन्द्र प्रताप सिंह चौधरी और डी पी सिंह चौधरी और देवेन्द्र पी सिंह चौधरी चारों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे रिलायंस के शेयरों में मेरा नाम देवेन्द्र प्रताप सिंह चौधरी एवं डी पी सिंह चौधरी और देवेन्द्र पी सिंह चौधरी के स्थान पर देवेन्द्र चौधरी लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(देवेन्द्र चौधरी)

पुत्र– श्री यदुनाथ सिंह चौधरी,

पता– महावीर कॉलोनी, विहाइंड सागर पेरिडाइस,

गोले का मंदिर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-416)

नाम परिवर्तन

मैं, घुड़ीबाई मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धुरी गढ़ेकर (DHURI GADEKAR) दर्ज हो गया है. मेरे परिचय–पत्र, बैंक पासबुक में घुड़ीबाई (GHUDIBAI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम घुड़ीबाई (GHUDIBAI) सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धुरी गढ़ेकर)

(DHURI GADEKAR)

नया नाम

(घुड़ीबाई)

(GHUDIBAI)

पता– ग्राम परमंडल, तहसील मुलताई,

जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-417)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहब्बत सिंह राजपूत मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम मीना राजपूत (MEENA RAJPOOT) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में सुहाना राजपूत (SUHANA RAJPOOT) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम सुहाना राजपूत (SUHANA RAJPOOT) सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहब्बत सिंह राजपूत)

पता– 33, ग्राम ककरज, बीजू खेडी,

पोस्ट मुंडेला, लटेरी, विदिशा (म.प्र.).

(G-418)

CHANGE OF NAME

This is to inform the general public that my daughter's name was recorded as TONA in her birth/official records. We have now changed her name to NEHA. Henceforth, she shall be known and recognized as NEHA D/o. BANE SINGH in all official and future records.

Applicant

(BANE SINGH)

Add.- H.NO. 108, GRAM BHADWA,

POST RANAYARA PEER, DIST.UJJAIN (M.P.).

(G-419)

CHANGE OF NAME

I, BILICHDAN XALXO hereby declare that I have changed my name to BILICHDAN KHALKHO. So far now and in future I will be known by my new name BILICHDAN KHALKHO S/o. ISHWARDAS KHALKHO for all purposes.

Old Name	New Name
(BILICHDAN XALXO)	**(BILICHDAN KHALKHO)**
S/o. ISHWARDAS XALXO	S/o. ISHWARDAS KHALKHO
	Add.- MAKAN NO. 43 INDORE ROAD, HAPPY VILLA COLONY, DHAR (M.P.).

(G-420)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे पिंकी पांचाल नाम से जाना जाता था, अब मैंने मेरा नाम बदलकर पिंकी सवनेर कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम पिंकी सवनेर पति मुकेश सवनेर के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पिंकी पांचाल)	**(पिंकी सवनेर)**
पिता– बलराम	पति– मुकेश सवनेर
	पता – द्वारकापुरी, हवा बंगला रोड, इंदौर (म.प्र.).

(G-421)

CHANGE OF NAME

I, FARIN GANAWA hereby declare that I have changed my name to RACHNA GANAWA. So far now and in future I will be known by my new name RACHNA GANAWA W/o. KALLU GANAWA for all purposes.

Old Name	New Name
(FARIN GANAWA)	**(RACHNA GANAWA)**
	W/o. KALLU GANAWA
	Add.- 105, HIMMAT NAGAR, PALDA INDORE, GPO INDORE (M.P.).

(G-422)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे टीना के नाम से जाना जाता था, अब मैंने मेरा नाम बदलकर राधा पटेल कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राधा पटेल पति अश्विन पटेल के नाम से जाना–पहचाना जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(टीना)	**(राधा पटेल)**
	पति– अश्विन पटेल,
	पता– 60 ग्राम, खजराया, खजराया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-423)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम मुस्कान अंसल था, अब मैंने मेरे पुत्री का नाम बदलकर ज्योति मालवीय पिता प्रकाश कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री का सही नाम ज्योति मालवीय पिता प्रकाश के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(प्रकाश)

पिता– लच्छुलाल

(G-424) पता– 111, हरिजन मोहल्ला खोकरिया टोंक, शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम वालजी (Valji) था, जिसे परिवर्तित कर नारायण डोडियार (Narayan Dodiyar) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम नारायण डोडियार (Narayan Dodiyar) के नाम से लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वालजी)	**(नारायण डोडियार)**
(Valji)	**(Narayan Dodiyar)**

(G-425)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम डिम्पल लहरवानी (Dimple leharwani) है, जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम खुशी सबनानी त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम डिम्पल लहरवानी (Dimple leharwani) के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खुशी सबनानी)	**(डिम्पल लहरवानी)**
(Khushi Sabnani)	**(Dimple leharwani)**

(G-426) पता– 557 अभिनन्दन कॉलोनी, मन्दसौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम सोनू कारोले (SONU KAROLE) है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम टीनू कारोले दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम सोनू कारोले ही लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शिवकुमार कारोल)

पता– 302, तेजाजी नगर, माता मंदिर के पास

(G-427) बिलावली, इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, आयशा बी मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम आशिया बी (ASHIYA BI) गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में आयशा बी (AAYSHA BEE) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम आयशा बी (AAYSHA BEE) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आशिया बी)	**(आयशा बी)**
(ASHIYA BI)	**(AAYSHA BEE)**
	पति– अवरार खान
	पताः–परासी टुंडा, पोस्ट हसुआ,

(G-428) जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जितेन्द्र सिंह बंशकार आ. श्री प्रेमनारायण बंशकार, निवासी– वार्ड नं. 33, गौड बाबा कॉलोनी, दतिया (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र सिंह बंशकार आ. श्री प्रेमनारायण बंशकार है. जितेन्द्र सिंह बंशकार एवं जितेन्द्र सिंह दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे जितेन्द्र सिंह बंशकार आ. श्री प्रेमनारायण बंशकार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जितेन्द्र सिंह बंशकार)

नया नाम
(जितेन्द्र सिंह).

(G-429)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश कुमार धुर्वे पुत्र स्व. श्री बल्लू सिंह धुर्वे, निवासी– ग्राम बारीआम वार्ड नं. 3, पोस्ट पचमढ़ी, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश बेबी कुसुम (Baby Kusum) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम भूमिष सिंह धुर्वे (Bhumish Singh Dhurve) पुत्र राकेश कुमार धुर्वे (Rakesh Kumar Dhurve) है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में उसके सही नाम भूमिष सिंह धुर्वे (Bhumish Singh Dhurve) पुत्र राकेश कुमार धुर्वे (Rakesh Kumar Dhurve) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(राकेश कुमार धुर्वे).

(G-430)

CHANGE OF NAME

I , ARCHANA V./ VIJAYAKUMAR ARCHANA HAS CHANGED MY NAME TO ARCHANA JAIN, W/o. ANKUR JAIN, THEREFORE I WILL BE READ AND KNOW AS ARCHANA JAIN W/o. ANKUR JAIN.

Old Name

(ARCHANA V./ VIJAYAKUMAR ARCHANA)

New Name

(ARCHANA JAIN)
W/o. ANKUR JAIN
Add.- DUPLEX NO. 09, DREAMS GLORY,
VILLAGE BAWADIA KALAN, TEHSIL HUZUR,
BHOPAL (M.P.).

(G-431)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा जैस्वाल (SIMA JAISWAL) पति प्रमोद जैस्वाल (PRAMOD JAISWAL), निवासी– वार्ड नं. 10, जवाहर वार्ड, विद्यालय के पास, सौसर, छिन्दवाडा, (म.प्र.). मेरा नाम हाई स्कूल की अंकसूची एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में शकुन जैसवाल (SHAKUN JAISWAL) है एवं आधार कार्ड व पैन कार्ड में सीमा जैस्वाल (SIMA JAISWAL) अंकित है तथा राजस्व रिकार्ड, खसरा में मेरा नाम सकुन है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सकुन (SAKUN) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(सकुन)
(SAKUN).

(G-432)

नाम परिवर्तन

मैं, कुसुम बाई पत्नी शंकर (Kusum Bai W/o. Shankar), निवासी– डुगरिया, पोस्ट मोहास, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बती बाई (Bati Bai) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम कुसुम बाई (Kusum Bai) है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, भू–अधिकार पुस्तिका एवं सरपंच ग्राम पंचायत मोहास जबलपुर के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय में मेरा सही नाम कुसुम बाई (Kusum Bai) दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(कुसुम बाई)
(Kusum Bai).
पति– शंकर.

(G-433)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार फर्म सांई सागर फ्यूल पंप भागीदारी फर्म रजिस्टर्ड पंजीयन क्रमांक 02–40–01–0295–25 वर्ष 2024–25 पता– न्यू टेकरी रोड़ गुना ,तहसील व जिला गुना (म.प्र.) 473001 जो कि भूमि सर्वे क्रमांक–695–2–1–1–2–2 (S) में स्थित है. जिसके भागीदार, भागीदारी विलेख दिनांक 11 दिसम्बर 2024 के अनुसार ऐश्वर्या जग्गी पत्नि मनीष कुमार एवं उमाशंकर शिवहरे पुत्र रमेशचंद शिवहरे भागीदार के रूप में कार्यरत् थे. उक्त फर्म सांई सागर फ्यूल पंप के भागीदार उमाशंकर शिवहरे पुत्र रमेशचंद शिवहरे ने स्वेच्छा से दिनांक 01 जनवरी 2026 को उक्त फर्म में अपने समस्त अधिकारों सहित पूर्णतः भागीदारी समाप्त कर फर्म से रिटायर हो गये है. तत्पश्चात् फर्म सांई सागर फ्यूल पंप में नये भागीदार योगेश कुमार अरोरा पुत्र त्रिलोकचंद अरोरा, निवासी–गुना (म.प्र.) भागीदारी विलेख ई–स्टांप कोड क्रमांक–0101241311202501504 4, दिनांक 13 नवम्बर 2025 के द्वारा उसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं. अस्तु, सर्वसाधारण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म सांई सागर फ्यूल पंप भागीदारी फर्म पंजीयन क्रमांक–02–40–01–0295–25 वर्ष 2024–25, पता– न्यू टेकरी रोड़ गुना, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) 473001 का व्यापार सहित पूर्ण संचालन दिनांक 01.01.2026 से अधिकृत भागीदार ऐश्वर्या जग्गी पत्नि मनीष कुमार एवं योगेश कुमार अरोरा पुत्र त्रिलोकचंद अरोरा निवासी गुना (म.प्र.) करेंगे.

सांई सागर फ्यूल पंप

1. **ऐश्वर्या जग्गी**
2. **उमाशंकर शिवहरे**
(पार्टनर).

(G-434)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमलता पुत्री ध्रुवराज प्रधान, निवासी– मकान नं. 365, सांई बाबा नगर, ई–6 अरेरा कालोनी, तहसील हुजूर , जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रेमा त्रुटिवश दर्ज है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमलता पुत्री ध्रुवराज प्रधान है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रेमलता पुत्री ध्रुवराज प्रधान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रेमा)

नया नाम

(प्रेमलता)
पुत्री ध्रुवराज प्रधान.

(G-435)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्मला पत्नी ओमप्रकाश, निवासी– म. नं. 15, पिपलिया बाज खां तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम निम्मा बाई पत्नी ओमप्रकाश त्रुटिवश दर्ज है. जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम निर्मला पत्नी ओमप्रकाश है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम निम्मा बाई पत्नी ओमप्रकाश दर्ज है, उसके स्थान पर मेरा नाम निर्मला पत्नी ओमप्रकाश लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(निम्मा बाई)
पत्नी– ओमप्रकाश

नया नाम

(निर्मला)
पत्नी– ओमप्रकाश.

(G-436)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में प्रलीत पुत्र श्री तुलसीराम, निवासी– सुबे की गोठ लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम वोटर कार्ड एवं अन्य दास्तेवजों में ललित मांझी पुत्र श्री तुलसीराम, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में ललित मांझी पुत्र श्री तुलसीराम के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रलीत)

नया नाम

(ललित मांझी)
पुत्र– श्री तुलसीराम

(G-437)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/S Siddh Baba Stone Crusher जिसका पंजीयन क्रमाक 02–43–07–0057–18, 122 Ward No- 10 Park Mohalla Behind Bus Stand Bhind है. वर्ष 2018 में पार्टनर क्र. (1) भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, (2) हरेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, (3) मीरा भदौरिया पत्नी श्री राजेन्द्र भदौरिया, निवासी– सिन्धी कॉलोनी, ग्वालियर थे. दिनांक 07 नवम्बर 2022 को उक्त फर्म से हरेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री प्रहलाद सिंह मीरा भदौरिया पत्नी श्री राजेन्द्र भदौरिया स्वच्छा से उक्त फर्म से प्रथक् हो रहे हैं. नये भागीदार के रूप में (1) विपिन सिंह राजावत पुत्र श्री रामप्रकाश, निवासी– 303 मिलिनय प्लाजा, गोविन्द पुरी, विवेकानंद वार्ड 29, गिर्द (म.प्र.) फर्म में हिस्सेदार के रूप में सम्मिलत हो गये है इस प्रकार उक्त फर्म में दो हिस्सेदार (1) भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, (2) विपिन सिंह राजावत पुत्र श्री रामप्रकाश, निवासी– 303 मिलिनय प्लाजा, गोविन्द पुरी, विवेकानंद वार्ड 29, गिर्द, (म.प्र.) हो गये है.

M/S Siddh Baba Stone Crusher

भानुप्रताप सिंह
(पार्टनर)

(G-438)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शादी के पूर्व अर्चना परिहार पुत्री स्व. श्री ईश्वर सिंह परिहार था. मेरा नाम शादी के बाद अर्चना तोमर पत्नी श्री राजकुमार सिंह तोमर हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में अर्चना तोमर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अर्चना परिहार)

नया नाम

(अर्चना तोमर)
पत्नी श्री राजकुमार सिंह तोमर
निवासी – 103, पाम रेसीडेन्सी,
सिटी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-439)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम श्रीमती प्रकाशरानी था. जिसको परिवर्तित कर मैंने मेरा नया नाम श्रीमती कमला देवी (Kamla Devi) पत्नी श्री किशोर सिंह गौड़ कर लिया है. इससे पूर्व मुझे श्रीमती प्रकाशरानी के नाम से जानी और पहचानी जाती थी. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती प्रकाशरानी के स्थान पर नया नाम श्रीमती कमला देवी (Kamla Devi) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रकाशरानी)

नया नाम

(कमला देवी)

(Kamla Devi).

(G-440)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संतोष शर्मा पति श्री शैलेन्द्र शर्मा (Santosh Sharma W/o. Shailendra Sharma), पता– 117 विश्वकर्मा नगर, सुदामा नगर के पास इन्दौर (म.प्र). वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजो में मेरा सही नाम दिव्या शर्मा पति श्री शैलेन्द्र शर्मा (Divya Sharma W/o. Shailendra Sharma) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा-- लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(संतोष शर्मा)

(Santosh Sharma)

नया नाम

(दिव्या शर्मा)

(Divya Sharma).

(G-441)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटू खान (Chotu Khan) पुत्र जहूर खान (Jahur Khan), निवासी– मकान क्रमांक 168/4/15, रहमत नगर टावर के पास, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.). परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश Abid Husain नाम दर्ज हो गया है. आबिद हुसैन (Abid Husain) पुत्र जहूर खान (Jahur Khan) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे Abid Husain के स्थान पर Chotu Khan के नाम से शासकीय, अर्धशासकीय, दस्तावेजों में जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(Chotu Khan)

उर्फ (Abid Husain).

(G-442)

CHANGE OF NAME

It is to be informed to the general public that I, Aishwarya Mohite W/o. Rajat Mohite. Resident of 437, Usha Nagar, Extension Indore. Earlier known by the name of Jagrati Mhale D/o. Rajesh Mhale. After Marriage I, have changed my name to Aishwarya Mohite W/o. Rajat Mohite for all Purposes and future correspondence.

Old Name

(Jagrati Mhale)

New Name

(Aishwarya Mohite).

(G-443)

आम सूचना

फर्म मे. SUYASH ASSOCIATES के भागीदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म का पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0024–15 दिनांक 15 अप्रैल 2015 पर पंजीयत है. उक्त फर्म में पंजीकृत भागीदारी विलेख दिनांक 27 मार्च 2015 में भागीदार श्री सुनील मलिक एवं श्री श्रीनिवास अग्रवाल है. फर्म में निष्पादित संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 01 अप्रैल 2024 के अनुसार श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री श्रीनिवास अग्रवाल को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त दिनांक को ही भागीदार श्री श्रीनिवास अग्रवाल पिता स्व. श्री आर.डी. अग्रवाल स्वेच्छा से उक्त फर्म से सेवानिवृत्त हो गए हैं.

अतः, उपरोक्तानुसार भागीदारी फर्म का संचालन भागीदार श्री सुनील मलिक एवं भागीदार श्रीमती संगीता अग्रवाल द्वारा किया जावेगा.

मे. SUYASH ASSOCIATES

सुनील मलिक
(भागीदार).

(G-444)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम दीपक, जो मेरी सेवा–पुस्तिका में दर्ज है. पूर्व नाम को परिवर्तित कर मेरा सही नाम दीपक कुमार मालवीय (DEEPAK KUMAR MALVIYA) पिता श्री नरेश कुमार मालवीय, निवासी– म.नं. 47, वार्ड नं. –85, ग्राम रापड़िया, तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे पुराना नाम दीपक के स्थान पर सही नाम दीपक कुमार मालवीय (DEEPAK KUMAR MALVIYA) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दीपक)	**(दीपक कुमार मालवीय)**
(Deepak)	**(DEEPAK KUMAR MALVIYA).**

(G-445)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री शिवांशी शर्मा के जन्म प्रमाण–पत्र में सायरा शर्मा (SAYARA SHARMA) अंकित हो गया है. जबकि उसका सही नाम शिवांशी शर्मा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिवांशी शर्मा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(योगेश कुमार शर्मा)
पत्नी– श्रीमती अंजू वर्मा
निवासी –दत्तपुरा, भरोषी धर्मशाला रोड,
मुरैना (म.प्र.).

(G-446)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक मार्कशीटस व अन्य सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में राकेश कुमार साहू पुत्र श्री सूरज प्रसाद साहू (Rakesh Kumar Sahu S/o. Suraj Prasad Sahu) दर्ज है एवं मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाते में मेरा सही नाम राकेश साहू (Rakesh Sahu) दर्ज है. मैं, मेरे नाम में से "कुमार" शब्द हटाकर मेरे नाम को राकेश साहू पुत्र स्व. श्री सूरज प्रसाद साहू (Rakesh Sahu S/o. Late. Suraj Prasad Sahu) करना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे राकेश साहू पुत्र स्व. श्री सूरज प्रसाद साहू (Rakesh Sahu S/o. Late. Suraj Prasad Sahu) के नाम से समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश कुमार साहू)	**(राकेश साहू)**
(Rakesh Kumar Sahu)	**(Rakesh Sahu)**
	पुत्र– स्व. श्री सूरज प्रसाद साहू
	S/o. Late. Suraj Prasad Sahu.

(G-447)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश शर्मा आत्मज श्री मोतीलाल, निवासी– 167, महेश्वर रोड बड़वाह, खरगोन (म.प्र.). मेरा नाम, मेरे दस्तावेज आधार कार्ड में त्रुटिवश नरेश शर्मा अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर मेरा सही नाम नवीन शर्मा अंकित कराना चाहता हूँ. मेरा नाम, मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे परिचय–पत्र में सही नाम नवीन शर्मा ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम नवीन शर्मा आत्मज मोतीलाल (NAVIN SHARMA S/o. MOTILAL) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

प्रार्थी

(नरेश शर्मा).

(G-448)

नाम परिवर्तन

मैं, नर्मदा सरोज वानिया पत्नी श्री दिनेश कीर, निवासी– ग्राम देहगांव घाट, पिपलिया, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा सही नाम सरोज वानिया (SAROJ VANIYA) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गुड्डी बाई कीर (GUDDI BAI KEER) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सरोज वानिया (SAROJ VANIYA) के नाम से जाना–पहचाना व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड्डी बाई कीर)	**(सरोज वानिया)**
(GUDDI BAI KEER)	(SAROJ VANIYA).

(G-449)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सरजू बाई पत्नी भवंर लाल (SARJU BAI W/o. BHANVAR LAL), निवासी– 44. खामखेडा, ग्राम खामखेड़ा हुजूर, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सूरज बाई पत्नी भंवर लाल (SURAJ BAI W/o. BHANVAR LAL) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरा सही नाम मेरे निर्वाचान आयोग कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सरजू बाई पत्नी भवंर लाल (SARJU BAI W/o. BHANVAR LAL) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सूरज बाई)	**(सरजू बाई)**
	(SARJU BAI)
	पत्नी– भवंर लाल
	W/o. BHANVAR LAL.

(G-450)

उपनाम परिवर्तन

मैं, संतोष पत्नी अखिलेंद्र सिंह ठाकुर, निवासी– 19 ख, पटवारी कॉलोनी बरवाहा, खरगोन (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश संतोष नाम अंकित हो गया है, जिसे बदलकर मेरा सही नाम संतोषी ठाकुर किया जाना है. मेरा नाम, मेरे दस्तावेज परिचय–पत्र में भी मेरा सही नाम संतोषी ठाकुर ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम संतोषी ठाकुर (SANTOSHI THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(G-451) **(संतोष).**

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल सिकलवार (CHHOTELAL SIKALWAR) आत्मज श्री हुलसी सिकलवार, निवासी–ग्राम पोस्ट, बलकौरा, तहसील चंदला, बलकौरा, छतरपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम छोटेलाल सिकलवार (CHHOTELAL SIKALWAR) है, बैंक पासबुक में त्रुटिवश मेरा नाम सी एल सिकलवार (C L SIKALWAR) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम छोटेलाल सिकलवार (CHHOTELAL SIKALWAR) के नाम से जाना पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सी एल सिकलवार)	**(छोटेलाल सिकलवार)**
(C L SIKALWAR)	**(CHHOTELAL SIKALWAR).**

(G-452)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अंकसूची और दस्तावेजों में त्रुटिवश साकार पोत्दार पिता हरीश पोत्दार अंकित हो गया है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम साकार पोत्दार (SAKAR POTDAR) पिता हरिहरेश्वर पोत्दार (HARIHARESHWAR POTDAR) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(साकार पोत्दार)	**(साकार पोत्दार)**
पिता– हरीश पोत्दार	पिता– हरिहरेश्वर पोत्दार
	पता– 36 रविशंकर नगर, गदा पुलिया के पास, उज्जैन (म.प्र.).

(G-453)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामकली पटेल पत्नी कौशल पटेल, निवासी– 151, ऑगनबाड़ी केन्द्र के पास बड़ी पॉती, तहसील–गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.). मेरा नाम श्यामकली पटेल है जो मेरे दस्तावेजों में लेख है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पूर्व में श्यामकली पटेल दर्ज था, जो त्रुटिवश गनेशिया हो गया है, जबकि मेरा सही नाम श्यामकली पटेल है, प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(श्यामकली पटेल)
पत्नी– कौशल पटेल.

(G-454)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम अभनी राजपूत दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम दामिनी राजपूत है. जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में दामिनी राजपूत पुत्री सौभाग्य सिंह राजपूत (DAMINI RAJPOOT D/o. SOUBHAGAY SINGH RAJPOOT) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सौभाग्य सिंह राजपूत)
पुत्र– श्री अमर सिंह राजपूत
निवासी– ग्राम निटर्रा, अशोक नगर
मुंगावली (म.प्र.).

(G-455)

आम सूचना

M/S B M INFRA फर्म के साझेदार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क्र 01–01–01–00228–11 दिनांक 02 सितम्बर 2011 हैं जिसमे दिनांक 01 अप्रैल 2021 (1) Wahaj Uddin Ansari स्वेच्छा से फर्म से निवृत्तमान हों गये हैं. उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नही हैं, साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया.

अतः सर्वसाधारण सूचित हो.

M/S B M INFRA
Mohammad Bilai Khan
(Partner).

(G-456)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम संतोष रायकवार (SANTOSH RAIKWAR) आत्मज श्री गुलाबचंद रायकवार (GULABCHAND RAIKWAR) है. परन्तु मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार रायकवार (SANTOSH KUMAR RAIKWAR) है, मैं, अपने नाम के गजट प्रकाशन उपरांत संतोष रायकवार (SANTOSH RAIKWAR) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(संतोष कुमार रायकवार)	**(संतोष रायकवार)**
(SANTOSH KUMAR RAIKWAR)	**(SANTOSH RAIKWAR)**

(G-457)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज आधार कार्ड में मेरा नाम जफर खान (JAFAR KHAN) है जो कि गलत व अधूरा नाम है, मेरा सही व पूरा नाम परिचय पत्र अनुसार ज़फर हसन (ZAFAR HASAN) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाउंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(जफर खान)	**(ज़फर हसन)**
(JAFAR KHAN)	**(ZAFAR HASAN).**

(G-458)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री रामवीर सिंह परिहार, निवासी– ग्राम कुटरोली, गोरमी भिण्ड (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रृटिवश उसका नाम आयुष परिहार (AYUSH PARIHAR) गलत अंकित हो गया है जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं 10वीं की अंकसूची में उसका सही नाम प्रशांत (PRASHANT) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय एवं अद्धशासकीय व व्यक्तिगत दस्तावेजों में प्रशांत परिहार (PRASHANT PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नरेन्द्र सिंह परिहार)
पिता– रामवीर सिंह परिहार

(G-459)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रृटिवश मिस्टर अली (MISTER ALI) गलत अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम बैयद खान (BAIYAD KHAN) है, जबकि मेरी अंकसूची, समग्र आई.डी. एवं अन्य दस्तावेजो में मेरा सही नाम बैयद खान (BAIYAD KHAN) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम बैयद खान (BAIYAD KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मिस्टर अली)
(MISTER ALI)

नया नाम
(बैयद खान)
(BAIYAD KHAN)
पिता– इस्माइल अली
पताः– 84 वार्ड नं. 3, तेलिया गली,
दबोह भिण्ड (म.प्र.).

(G-460)

आम सूचना

फर्म मेसर्स ओम नारायण ट्रेडर्स, V-VENUS CMA मार्केट के सामने, दुकान नंबर 3, वार्ड 7, बृंदावन कॉलोनी भरहुत नगर से सेमरिया चौक, रीवा रोड, सतना 485001 (मध्यप्रदेश) में स्थित है. फर्म भागीदार अभिलेख के अनुसार दिनांक 29 जुलाई 2024 को निम्नांकित भागीदार थे. 1. श्री निखिल भट्ट 2. श्री संजीत रॉय.

जिसके उपरान्त उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 03 नवम्बर 2025 को संशोधन विलेख तैयार किया गया जिसमें भागीदार क्र. 2 श्री संजीत रॉय स्वेच्छा से दिनांक 03 नवम्बर 2025 में रिटायर हो गए हैं एवं शेष पक्ष भागीदार क्र 1 ने दिनांक 03 नवम्बर 2025 से श्री पवन कुमार भट्ट (पुत्र श्री नारायण दास भट्ट) (भागीदार क्र 2) को साझेदार बनाने का निर्णय लिया है. जिसके अनुसार दिनांक 03 नवम्बर 2025 से पुर्नगठित फर्म में निम्नलिखित भागीदार होंगेः–

1. श्री निखिल भट्ट , 2. श्री पवन कुमार भट्ट

एवं फर्म का पुराना पता– एन. के. स्क्वायर बिल्डिंग, भूतल, वार्ड क्रमांक 25, सर्किट हाउस चौक के सामने, सतना (म.प्र.) जो कि परिवर्तित होके नया पता V-VENUS CMA मार्केट के सामने, दुकान नंबर 3, वार्ड 7, बृंदावन कॉलोनी भरहुत नगर से सेमरिया चौक, रीवा रोड, सतना 485001 (मध्य प्रदेश) होगा. उपरोक्त विवरण जन साधारण के संज्ञान में लाने बाबत इश्तहार जारी किया जा रहा है. सामान्य जन सूचित हो.

वास्ते
फर्ग गेरार्स ओग नारायण ट्रेडर्स,
निखिल भट्ट
(भागीदार).

(G-461)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रेखा पाठक पत्नी संजय कुमार पाठक (REKHA PATHAK W/o. SANJAY KUMAR PATHAK), निवासी– वार्ड नंबर 06, रेंज कंपाउंड बुधनी, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड जिसमें मेरा नाम त्रुटिवश सरला पाठक पत्नी संजय पाठक (SARALA PATHAK W/o. SANJAY KUMAR PATHAK) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में रेखा पाठक पत्नी संजय कुमार पाठक है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रेखा पाठक पत्नी संजय कुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(रेखा पाठक)
(REKHA PATHAK)
पत्नी– संजय कुमार पाठक
W/o. SANJAY KUMAR PATHAK.

(G-462)

नाम परिवर्तन

मैं, रेहान खान (REHAN KHAN) आत्मज श्री मंजूर खान, निवासी– ग्राम मोगराफूल, महोडिया सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश शाहिल मियॉ (SHAHIL MOYAN) अंकित है. जबकि उसका सही नाम रेहान खान (REHAN KHAN) है, जो कि मेरे शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम रेहान खान (REHAN KHAN) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(रेहान खान).

(G-463)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह वल्द श्री अनुसुइया सिंह, निवासी– साकिन रामनगर पो. जनादनपुर, तहसील रामपुर बाधेलान, जिला सतना (म.प्र.). मेरा सही नाम महेन्द्र सिंह है, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम महेन्द्र सिंह दर्ज है जो कि सही है. मुझे घर में लल्लू कहकर पुकारते थे जो मेरा उपनाम है इसका प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत रामनगर द्वारा भी किया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मुझे महेन्द्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी

(महेन्द्र सिंह)
वल्द– श्री अनुसुइया सिंह

(G-464)

नाम परिवर्तन

मैं सजलीबहु कुशवाहा पत्नी श्री किशुन कुशवाहा, निवासी– 636, ग्राम मड़ियादो, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश पवन पटेल (PAVAN PATEL) पुत्र किशुन लाल पटेल, नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर पवनपुत्र कुशवाहा (PAWANPUTRA KUSHWAHA) पुत्र किशुन कुशवाहा, नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में पवनपुत्र कुशवाहा (PAWANPUTRA KUSHWAHA) पुत्र किशुन कुशवाहा, के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सजलीबहु कुशवाहा)
पत्नी– श्री किशनु कुशवाहा.

(G-465)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक भावसार पुत्र श्री संतोष भावसार, निवासी– तिलक पार्क के पास, सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश लिरिशा भावसार (LIRISHA BHAVSAR) नाम दर्ज हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर गुनवी भावसार (GUNVI BHAVSAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नया नाम गुनवी भावसार (GUNVI BHAVSAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अभिषेक भावसार)
पुत्र– श्री संतोष भावसार.

(G-466)

नाम परिवर्तन

मैं, जगत सिंह गुर्जर पुत्र श्री गोपी सिंह गुर्जर, निवासी– ग्राम ढकरौरा, पोस्ट खरेह, तहसील बदरबास, जिला शिवपुरी, (म.प्र.). मेरे (नाती) पौत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नातीराजा (NARIRAJA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, साथ ही जन्मतिथि भी गलत अंकित हो गई है, जबकि उसके शैक्षीणक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र पर राहुल गुर्जर (RAHUL GURJAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है एवं अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे (नाती) पौत्र के सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम राहुल गुर्जर (RAHUL GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जगत सिंह गुर्जर).

(G-467)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा सोनी पुत्र श्री राजेश सोनी, निवासी– वार्ड 14, संजय नगर पम्प हाउस के पास, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम किशन सोनी पुत्र राजेश कुमार सोनी दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम कृष्णा सोनी (Krishna Soni) पुत्र श्री राजेश सोनी (Rajesh Soni) है जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं कक्षा 10वी की अंकसूची में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कृष्णा सोनी (Krishna Soni) पुत्र श्री राजेश सोनी (Rajesh Soni) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(किशन सोनी)
पुत्र– राजेश कुमार सोनी

नया नाम

(कृष्णा सोनी)
(Krishna Soni)
पुत्र– श्री राजेश सोनी
(Rajesh Soni).

(G-468)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स श्री बालाजी डेवलपर्स पंजीयन क्रमांक 01–04–05–0018–2025 दिनांक 17 अप्रैल 2025 है. उक्त फर्म में सभी 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर श्रीमती संगीता शर्मा पति श्री दिलीप शर्मा स्वेच्छा से त्याग–पत्र देकर फर्म से पृथक् हो चुकी हैं. दिनांक 3 दिसम्बर 2025 से कनिष्क शर्मा पिता श्री दिलीप शर्मा निवासीः– 7–सी, गिरधरनगर, तिलक नगर के पास इन्दौर, मध्यप्रदेश को श्री बालाजी डेवलपर्स में नए भागीदार के रूप में जुड़े हैं. अतः, आज दिनांक के पश्चात् फर्म के समस्त अधिकार, दायित्व, लेन देन, अनुबंध, देनदारियां एवं व्यापार संबंधी समस्त कार्यवाही श्री कनिष्क शर्मा के अधीन मान्य होंगे. पूर्व भागीदार श्रीमती संगीता शर्मा का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध या दायित्व नहीं रहेगा.

मेसर्स श्री बालाजी डेवलपर्स,

1. Radhe Shyam Sondhiya
2. Sangeeta Sharma
3. Giriraj Sharma

(Partner).

(G-469)

नाम परिवर्तन

मैं, मालती शर्मा पत्नी महेश शर्मा, निवासी – म.नं. 53/1, ए.एन. राजहर्ष कॉलोनी नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). विवाह के पूर्व मेरा नाम मुन्नी शर्मा पुत्री श्री रामगोपाल शर्मा था. विवाह पश्चात् मेरा नाम मालती शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम मुन्नी शर्मा पुत्री श्री रामगोपाल शर्मा दर्ज है, उसके स्थान पर मालती शर्मा पत्नी महेश शर्मा पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्नी शर्मा)	**(मालती शर्मा)**
पुत्री– श्री रामगोपाल शर्मा	पत्नी– महेश शर्मा.

(G-470)

नाम परिवर्तन

मैं, नन्दकिशोर केवट आ. श्री विथइया, निवासी– 249, ज्योरा मोरा टीकमगढ़ (म.प्र.) मेरी पुत्री का सही नाम नीतू केवट (NEETU KEVAT) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम करिश्मा केवट (KARISHMA KEVAT) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम नीतू केवट (NEETU KEVAT) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नन्दकिशोर केवट).

(G-471)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रचना सौंधिया पुत्री स्व. श्री बिरम सिंह, निवासी– ग्राम खाकरा तेजा, राजगढ़ (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश दलू (Dalu) नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री की अंकसूची में सही नाम रचना सौंधिया (Rachna Sondhiya) है. रचना सौंधिया (Rachna Sondhiya) एवं दलू (Dalu) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को रचना सौंधिया (Rachna Sondhiya) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदिका

(शान्ति बाई)
पत्नी– स्व. श्री बिरम सिंह

(G-472)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम नैतिक रैकवार पुत्र श्री करन्जूलाल केवट, निवासी– ग्राम नया खेरा, पोस्ट भोपालपुरा, टीकमगढ़ (म.प्र.). परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम नीरज रैकवार (Neeraj Raikwar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरा सही नाम नैतिक रैकवार (Naitik Raikwar) दर्ज है. नैतिक रैकवार (Naitik Raikwar) एवं नीरज रैकवार (Neeraj Raikwar) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को मेरे वास्तविक नाम नैतिक रैकवार (Naitik Raikwar) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नीरज रैकवार)	**(नैतिक रैकवार)**
(Neeraj Raikwar)	**(Naitik Raikwar).**

(G-473)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हरकू बाई पत्नी श्री नर्बद सिंह, निवासी– 77, ग्राम सागोनी, ग्राम पंचायत सागोनी, जनपद पंचायत सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरू बाई पत्नी श्री नर्बद सिंह (HARU BAI W/o. NARBAD SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हरकू बाई पत्नी श्री नर्बद सिंह (HARKU BAI W/o. NARBAD SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरू बाई)	**(हरकू बाई)**
(HARU BAI)	**(HARKU BAI)**
	पत्नी– श्री नर्बद सिंह
	W/o. NARBAD SINGH.

(G-474)

उपनाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम प्रीति राठौर पिता श्री संतोष राठौर, मेरे समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमती प्रीति साहू पत्नी श्री सौरभ साहू हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रीति राठौर के नाम से समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीति राठौर)	**(प्रीति साहू)**
पिता– श्री संतोष राठौर	पति– श्री सौरभ साहू
	निवासी– एमपीईबी केम्पस, खण्डवा रोड़,
	तहसील–खरगोन, जिला–खरगोन (म.प्र.).

(G-475)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनस खान आत्मज श्री मुबीन खान, निवासी–म.नं. 18, गली नम्बर 3, झदा कालोनी, जहाँगीराबाद भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों जिसमें समग्र आई.डी, जन्म प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज में अनस खान पुत्र मुबीन खान नाम अंकित है, परन्तु आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश मुहिद खान नाम अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र को अनस खान पुत्र मुबीन खान के नाम से समाज व स्कूल में जाना एवं पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अनस खान से नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक

(मुबीन खान)

पुत्र– मकसूद खान.

(G-476)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंजुली देवी है जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश अंजली तिवारी दर्ज हो गया है. मेरी हाईस्कूल की अंकसूची में अंजुली देवी जो मेरा सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अंजुली देवी के नाम से जाना–पहचाना पढ़ा–लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंजली तिवारी)
(ANJALI TIWARI)

नया नाम

(अंजुली देवी)
(ANJULI DEVI)
पुत्री– श्री सुरेन्द्र तिवारी
निवासी– वाटर वर्क्स, वार्ड नं. 3
शांति नगर, भिण्ड, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(G-477)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम रिधान मित्तल पुत्र चिराग मित्तल (RIDHAAN MITTAL S/o. CHIRAG MITTAL), निवासी– म. नं. 41, लक्ष्मी गली कायस्थपुरा, हुजूर भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम अव्युक्त मित्तल पुत्र चिराग मित्तल (AVYUKT MITTAL S/o. CHIRAG MITTAL) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है, रिधान मित्तल व अव्युक्त मित्तल दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम रिधान मित्तल पुत्र चिराग मित्तल (RIDHAAN MITTAL S/o. CHIRAG MITTAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चिराग मित्तल).

(G-478)

नाम परिवर्तन

मैं, मोनिका यादव पत्नी अभिषेक यादव, निवासी– मकान नं. 1627, गली नं. 5. कोच फैक्ट्री, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रूद्र यादव (Rudra Yadav) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम ईशान यादव (Ishan Yadav) पुत्र अभिशेक यादव (Abhishek Yadav) है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम ईशान यादव (Ishan Yadav) पुत्र अभिशेक यादव (Abhishek Yadav) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(मोनिका यादव).

(G-479)

नाम परिवर्तन

मैं, भानु मोहनानी मेरी पुत्री हर्षिता मोहनानी (Harshita Mohnani) के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश भावना मोहनानी (Bhavana Mohnani) दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम भानु मोहनानी (Bhanu Mohnani) के नाम से समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में जाना पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(भानु मोहनानी)

(G-480)

नाम परिवर्तन

मैं, देवी सिंह पुत्र स्व. श्री नन्नू लाल, सिपेट सी.एस.टी.एस. भोपाल. मेरी सर्विस बुक रिकॉर्ड मे मेरी पत्नी का नाम राजल राजपूत उल्लेखित हो गया था. जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम छोटी बाई राजपूत है जो कि एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पत्नी को उसके सही नाम छोटी बाई राजपूत के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवी सिंह).

(G-481)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम हिमायू पाटीदार (Himayu Patidar) था, जो कि परिवर्तित करके रूद्रांश पाटीदार (Rudransh Patidar) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूद्रांश पाटीदार (Rudransh Patidar) के नाम से जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुनील पाटीदार)
पता– ग्राम पलवाड़ा, तहसील बदनावर,
जिला धार (म.प्र.).

(G-482)

नाम परिवर्तन

मैं रामवती पत्नी श्री हीरालाल, मेरे आधार कार्ड, दस्तावेज में मेरा नाम रामवती अंकित है मैने मेरा नाम परिवर्तन कर रामरानी कर लिया गया है. ये दोनों ही मेरे स्वयं यानि एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रामवती के स्थान पर सही नाम रामरानी नाम लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामवती)

नया नाम
(रामरानी)
पत्नी– श्री हीरालाल
पता– ग्राम घूघर, पोस्ट सोठिया,
जिला सागर (म.प्र.).

(G-483)

उपनाम परिवर्तन

मैं, स्मिता द्विवेदी, परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश स्मिता खरे अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम स्मिता द्विवेदी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे स्मिता द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(स्मिता खरे)

नया नाम
(स्मिता द्विवेदी)
निवासी– स्मिता द्विवेदी 125–126,
विकास कुंज, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.).

(G-484)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम प्रेमवती विधोलिया (PREMBATI VIDHOLIYA) था. जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, अब वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर प्रेम लता (PREM LATA) कर लिया है. यही नाम मेरे पेनकार्ड एवं वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. प्रेम लता और प्रेमवती विधोलिया मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रेमवती विधोलिया (PREMBATI VIDHOLIYA) के स्थान पर प्रेम लता पत्नी रामस्वरूप के नाम से जाना पहचाना व मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेम लता (PREM LATA) दर्ज किया जावे .

पुराना नाम	नया नाम
(प्रेमवती विधोलिया)	**(प्रेम लता)**
(PREMBATI VIDHOLIYA)	**(PREM LATA)**
	पत्नी– रामस्वरूप
(G-485)	निवासी– सदर बाजार, मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लाडकुंवर बाई (LADKUNWAR BAI) पिता चेन सिंह, निवासी– ग्राम विकलाखेडी, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). जो कि मेरे राजस्व अभिलेख, भू– अधिकार ऋण में दर्ज है, परन्तु मेरे आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लाल कुंबर (LAL KUNWAR) पिता चेन सिंह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों पर मेरा सही नाम लाडकुंवर बाई (LADKUNWAR BAI) पिता चेन सिंह के नाम जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लाल कुंवर)	**(लाडकुंवर बाई)**
(LAL KUNWAR)	**(LADKUNWAR BAI)**
(G-486)	पिता– चेन सिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, वर्षा नायक पत्नी श्री राधव नायक, निवासी– 115, व्ही गिरी वार्ड, पदम श्री टॉकीज, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम, (म.प्र.). मेरा नाम, मेरे दस्तावेज (आधार कार्ड) में त्रुटिवश वर्षा अंकित हो गया है, एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मेरे उपनाम के साथ वर्षा नायक अंकित है, आधार कार्ड में संशोधित कर उपनाम नायक जोड़कर मेरा वास्तविक नाम वर्षा नायक किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे, मेरे वास्तविक नाम वर्षा नायक पत्नी श्री राघव नायक (VARSHA NAYAK W/o. RAGHAV NAYAK) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(G-487) (वर्षा नायक).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नारायणसिंह (NARAYANSINGH) पिता उमराव सिंह है जो कि राजस्व अभिलेख एवं समग्र आई.डी. में दर्ज है, जो सत्य एवं सही है, परंतु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम जयप्रकाश (JAIPRAKASH) पिता उमराव सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम नारायणसिंह (NARAYANSINGH) पिता उमराव सिंह इसी नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजो पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जयप्रकाश)	**(नारायण सिंह)**
(JAIPRAKASH)	**(NARAYANSINGH)**
	पिता– उमराव सिंह
(G-488)	निवासी– ग्राम पिपल्या इंदौर, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, तरुणसिंह आत्मज श्री चन्दनसिंह, निवासी– ग्राम बोरना ठाकुर, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश मेरे दस्तावेज आधार कार्ड में तरवत सिंह ठाकुर पिता चन्दन सिंह, अंकित है, जिसे बदलकर वास्तविक नाम तरुणसिंह आत्मज श्री चन्दनसिंह, किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नए नाम तरुणसिंह आत्मज श्री चन्दनसिंह (TARUN SINGH S/o. CHANDAN SINGH) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

प्रार्थी

(तरूणसिंह)

आत्मज– श्री चन्दनसिंह.

(G-489)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रवि गोयल (RAVI GOYAL) पिता आत्माराम है, जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड में दर्ज है जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राज सूर्यवंशी (RAJ SURYAVANSHI) पिता आत्माराम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य मे मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम रवि गोयल (RAVI GOYAL) पिता आत्माराम के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढ़ा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजो पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राज सूर्यवंशी)

(RAJ SURYAVANSHI)

नया नाम

(रवि गोयल)

(RAVI GOYAL)

पिता– आत्माराम

पता-- ग्राम कांजा, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-490)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश गिर आत्मज श्री सुजान गिर, निवासी– ग्राम माछा, तहसील सोहागपुर, पोस्ट माछा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री दिव्यानी गोस्वामी पुत्री राजेश गिरि गोस्वामी (DIVYANI GOSWAMI D/o. RAJESH GIRI GOSWAMI) का नाम उसके दस्तावेज (आधार कार्ड) में त्रुटिवश दिव्यांशी गिर पुत्री राजेश गिर (DIVYANSHI GIR D/o. RAJESH GIR) अंकित है, जिसे परिवर्तित कर उसका वास्तविक नाम दिव्यानी गोस्वामी पुत्री राजेश गिरि गोस्वामी (DIVYANI GOSWAMI D/o. RAJESH GIRI GOSWAMI) अंकित कराया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्र को उसके वास्तविक नाम दिव्यानी गोस्वामी पुत्री राजेश गिरि गोस्वामी (DIVYANI GOSWAMI D/o. RAJESH GIRI GOSWAMI) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

आवेदक

(राजेश गिर)

आत्मज– श्री सुजान गिर.

(G-491)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रेखा राठौर (REKHA RATHORE) पिता जगदीश राठौर है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है. परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राखी (RAKHI) पिता जगदीश राठौर दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में उसके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम रेखा राठौर (REKHA RATHORE) पिता जगदीश राठौर के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजो पर भी दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जगदीश राठौर)

निवासी– ग्राम सुनेरा, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-492)

नाम परिवर्तन

मैं, ओमप्रकाश पटेल, निवासी– पोस्ट चौराहेट, ग्राम बोरना गुजर, पामली, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र सत्यम पटेल का नाम उसके दस्तावेज आधार कार्ड में त्रुटिवश रमाकांत पटेल अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर उसका वास्तविक नाम सत्यम पटेल अंकित कराया जाना है. मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों में उसका वास्तविक सही नाम सत्यम पटेल ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को उसके वास्तविक नाम सत्यम पटेल (SATYAM PATEL) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

आवेदक

(ओमप्रकाश पटेल).

(G-493)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्री का नाम आसिया पटेल (AASIYA PATEL) पिता अब्दुल खलील है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अशरा पटेल (ASHRA PATEL) पिता अब्दुल खलील दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में उसके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम आसिया पटेल (AASIYA PATEL) पिता अब्दुल खलील के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अशरा पटेल)
(ASHRA PATEL)

नया नाम

(आसिया पटेल)
(AASIYA PATEL)
पिता– अब्दुल खलील
निवासी– 169, नागनागिनी रोड, शाजापुर,
तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-494)

नाम परिवर्तन

मैं, सन्नो बाई पटेल पत्नी श्री गयाप्रसाद पटेल, पुत्री स्व. रामचरण, निवासी–वार्ड नं– 10, तह. सोहागपुर, पोस्ट चौराहेट, ग्राम बोरना मिट्ठा, सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेर नाम, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सन्नो बाई पटेल अंकित हो गया है. संशोधित कर मेरा नया नाम मुन्नीबाई किया जाना है. मेरे दस्तावेज बही म.प्र. राजस्व भू–लेख में भी मेरा वास्तविक सही नाम मुन्नीबाई ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे, मेरे नया नाम मुन्नीबाई (MUNNIBAI) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम

(सन्नो बाई पटेल)

नया नाम

(मुन्नीबाई).

(G-495)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अविनाश सोनी (AVINASH SONI) पिता देवेन्द्र सोनी है जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं मेरी अंकसूची में दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भरत सोनी (BHARAT SONI) पिता देवेन्द्र सोनी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजो पर मेरा नाम सही नाम अविनाश सोनी (AVINASH SONI) पिता देवेन्द्र सोनी के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भरत सोनी)
(BHARAT SONI)

नया नाम

(अविनाश सोनी)
(AVINASH SONI)
पिता– देवेन्द्र सोनी
निवासी– वार्ड नं. 4, पीपल चोक कानड,
तह. कानड, जिला आगर–मालवा (म.प्र.).

(G-496)

नाम परिवर्तन

मैं, राम नारायण शर्मा, पिता तुलसीराम, निवासी– वार्ड नंबर 01, मुखर्जी नगर, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "मधु सूदन (Madhu Sudan)" अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम 'नीरज शर्मा (Neeraj Sharma)" है, जो कि उसके अन्य अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों एवं शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं गैर–शासकीय संस्थाओं में "नीरज शर्मा (Neeraj Sharma)" के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राम नारायण शर्मा)

पिता– तुलसीराम.

(G-497)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमलता जैन (HEMLATA JAIN) पत्नी स्व. श्री अनिल जैन, निवासी– 63, न्यू एम.एल.ए. कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र सात्विक जैन के सभी शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश "हेमा जैन (HEMA JAIN)" अंकित हो गया है, जबकि सही नाम "हेमलता जैन (HEMLATA JAIN)" है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र सात्विक जैन के सभी शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम "हेमलता जैन (HEMLATA JAIN)" के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदिका

(हेमलता जैन)

(HEMLATA JAIN).

(G-498)

नाम परिवर्तन

मैं, नेहाल कैथवास (NEHAL KAITHWAS) पिता प्रहलाद कैथवास (Prahlad Kaithwas), निवासी– मकान नंबर 70, बाण गंगा, संजय नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश "निदाल कैथवास (Nidal KaithVas)" अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम "नेहाल कैथवास (NEHAL KAITHWAS)" है, जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य शासकीय अभिलेखों में सही रूप से दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे "नेहाल कैथवास (NEHAL KAITHWAS)" के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निदाल कैथवास)	**(नेहाल कैथवास)**
(Nidal KaithVas)	**(NEHAL KAITHWAS).**

(G-499)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सोनी पुत्र श्री टेकराम सोनी, निवासी– 264, महेशपुरा, मुरार ग्वालियर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश (RAJESH) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राजेन्द्र सोनी पुत्र टेकराम सोनी (RAJENDRA SONI S/o. TEKRAM SONI) है और मेरा यही नाम मेरे वोटर कार्ड पर भी लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मुझे राजेन्द्र सोनी पुत्र टेकराम से (RAJENDRA SONI S/o. TEKRAM SONI) के नाम से समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजेश)	**(राजेन्द्र सोनी)**
पुत्र– श्री टेकराम	**(RAJENDRA SONI)**
	पुत्र– श्री टेकराम सोनी
	S/o. TEKRAM SONI.

(G-500)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम रोहित गुर्जर पुत्र ध्रुव सिंह है. लेकिन मेरे पुत्र की कक्षा 2 की अंकसूची पर त्रुटिवश उसका नाम व पिता का नाम रूद्र गुर्जर पुत्र ध्रुव गुर्जर लिखा हुआ है. जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम रोहित गुर्जर पुत्र ध्रुव सिंह (Rohit Gurjar S/o. Dhruv Singh) लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ध्रुव सिंह)

पता– चन्दन सिंह का पुरा, निडावली पोस्ट टांकोली,
मुरार, गिर्द जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-501)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम तरून कुमार गुर्जर पुत्र ध्रुव सिंह है. लेकिन मेरे पुत्र की कक्षा 4 की अंकसूची पर त्रुटिवश उसका नाम व पिता का नाम सत्यम गुर्जर पुत्र ध्रुव गुर्जर लिखा हुआ है. जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम तरून कुमार गुर्जर पुत्र ध्रुव सिंह (Tarun Kumar Gurjar S/o. Dhruv Singh) के नाम से लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(ध्रुव सिंह)

पता– चन्दन सिंह का पुरा, निडावली पोस्ट टांकोली,
मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-502)

उपनाम परिवर्तन

मेरे विवाह के पूर्व मेरा नाम व उपनाम रेखा शर्मा पुत्री शिवकुमार शर्मा (Rekha Sharma D/o. Shiv Kumar Sharma) था. मेरा विवाह आलोक पुरोहित से होने के पश्चात् मेरा नाम व उपनाम रेखा पुरोहित पत्नी श्री आलोक पुरोहित (Rekha Purohit W/o. Alok Purohit) हो गया है. मेरा यही नाम व उपनाम मेरे आधार कार्ड पर भी लिखा हुआ है. मेरे पैन कार्ड पर मेरा नाम व उपनाम (Rekha Purohit D/o. Shiv Kumar Sharma) है जो कि सत्य है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मेरे नाम व उपनाम पति व पिता का नाम रेखा पुरोहित पत्नी श्री आलोक पुरोहित (Rekha Purohit W/o. Alok Purohit) व (Rekha Purohit D/o. Shiv Kumar Sharma) समस्त बैंको, शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रेखा शर्मा)
(Rekha Sharma)
पुत्री– शिवकुमार शर्मा
D/o. Shiv Kumar Sharma

नया नाम

(रेखा पुरोहित)
(Rekha Purohit)
पत्नी– श्री आलोक पुरोहित
W/o. Alok Purohit
R/o. E-6 Madhav Rao Sindhia Campus
City Centre Gwalior (M.P.)

(G-503)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम व पिता का नाम आरुषी शर्मा पुत्री ब्रिजेश कुमार (Arushi Sharma D/o Brijesh Kumar) है. लेकिन मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटि के कारण उसका नाम व पिता का नाम गौरी पुत्री बृजेश (Gauree D/o Brajesh) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्री का सही नाम व पिता का नाम समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में आरूषी शर्मा पुत्री ब्रिजेश कुमार (Arushi Sharma D/o Brijesh Kumar) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे

आवेदक

(ब्रिजेश कुमार)

पता– 88, आलोरी, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-504)

नाम परिवर्तन

मैं, भवरलाल मालवीय पिता मोहनलाल, वर्तमान पता– वार्ड क्रमांक 10, वी.टी.सी.डोडियाना, पोस्ट सरसी, तहसील जावरा जिला रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश लक्की (LUCKY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में लखन मालवीय (LAKHAN MALVIY) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम लखन मालवीय (LAKHAN MALVIY) नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भवरलाल मालवीय)

पिता– मोहनलाल.

(G-505)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनायिका अग्रवाल पिता अमन चौधरी (ANAIKA AGARWAL D/o. AMAN CHOUDHRY) है. परंतु मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अनायिक चौधरी पिता अमन चौधरी (Anaika Choudhry D/o. Aman Choudhry) दर्ज जो गया है. मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम अनायिका अग्रवाल पिता अमन चौधरी है (ANAIKA AGARWAL D/o. AMAN CHOUDHRY) दर्ज है तथा उसे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अनायिका अग्रवाल पिता अमन चौधरी (ANAIKA AGARWAL D/o. AMAN CHOUDHRY) के नाम से जाना पहचाना जावे और समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमन चौधरी)

पता– म.नं. ई–2/337, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.).

(G-506)

नाम परिवर्तन

मैं बतेशिया बाई मेहरा अपने पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मुन्नीबाई को परिवर्तित कर बतेशियाबाई मेहरा करना चाहती हूँ. मेरा नाम बतेशियाबाई मेहरा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे बतेशियाबाई मेहरा के नाम से सभी दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एंव पुकारा जावे.

पुराना नाम

(मुन्नीबाई)

(Munnibai)

नया नाम

(बतेशिया बाई मेहरा)

(Bateshiya Bai Mehra)

पता– 344, झील मोहल्ला, शिव मंदिर के पास, मानागांव, तहसील माखन नगर, नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-507)

नाम परिवर्तन

मैं, मोना पुत्री श्री ओम नारायण, निवासी– ग्राम धौखेडा, पोस्ट ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहनी पुत्री श्री ओमनारायण (MOHNI D/o. OMNARAYAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मोना पुत्री श्री ओम नारायण (MONA D/o. OM NARAYAN) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहनी)	**(मोना)**
(MOHNI)	**(MONA)**
पुत्री– ओम नारायण	पुत्री– श्री ओम नारायण
D/o. OMNARAYAN	D/o. OM NARAYAN.

(G-508)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमूबाई पत्नी श्री ईश्वर सिंह, निवासी– ग्राम गांगडा हद्दा, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम हेमूबाई (HEMU BAI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामू बाई (RAMU BAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे वास्तविक नाम हेमूबाई (HEMU BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामू बाई)	**(हेमूबाई)**
(RAMU BAI)	**(HEMU BAI).**

(G-509)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रिंसी बारमासे पुत्री श्रीमती रेखा बारमासे, निवासी – बिरुल बाजार, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश वैष्णवी (Vaishnavi) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री का वास्तविक एवं सही नाम प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) दर्ज है. यह कि प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) एवं वैष्णवी (Vaishnavi) अंकित दोनों एक ही व्यक्ति है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदिका

(श्रीमती रेखा बारमासे)

(G-510)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अलफिया खान (ALFIYA KHAN) पिता अब्दुल अजीज खान है, जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है, परंतू आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हलिजा बी (HALIJA BEE) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम अलफिया खान (ALFIYA KHAN) पिता अब्दुल अजीज खान के नाम से जाना–पहचाना, पढा–लिखा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजो मे दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हलिजा बी)	**(अलफिया खान)**
(HALIJA BEE)	**(ALFIYA KHAN)**
	पिता– अब्दुल अजीज खान
	निवासी– वार्ड न 07, शाजापुर,
(G-511)	तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, therto known as Anjali Mishra D/o. Santosh Mishra W/o. Anant Khandelwal, residing at 31, Tilak Ward no 2 Multai Dist. Betul (M.P.) have changed my name and shall hereafter be known as Anjali Khandelwal. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Old Name	New Name
(Anjali Mishra)	**(Anjali Khandelwal)**
D/o. Santosh Mishra	W/o. Anant Khandelwal

(G-512)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सावित्रीबाई (SAVITRIBAI) पति विजयसिंह, निवासी– ग्राम भौंरासा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.). जो कि मेरे कृषि राजस्व अभिलेख एवं वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, परंतु त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम गुड्डी बाई (GUDDI BAI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य मे मेरे आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों पर मेरा नाम सहीं नाम सावित्री बाई (SAVITRIBAI) पति विजयसिंह दर्ज किया जावे एवं इसी नांम से पढा–लिखा, जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड्डी बाई)	**(सावित्री बाई)**
(GUDDI BAI)	**(SAVITRIBAI)**
	पति विजयसिंह

(G-513)

PUBLIC NOTICE

It is published for general information that SHRI PRAMOD KUMAR MITTAL S/O SHRI SUBHASH CHAND MITTAL, AGED ABOUT 41 YEARS, RESIDING AT 28, AGRAWAL COLONY, WARD NO. 8, SENDHWA, TH. SENDHWA & DIST. BARWANI (M.P) -451666 HAS RETIRED ON 5th September 2025 form the firm M/s. SAMRADDHI COTTON CORPORATION Registration No. 03/31/05/0286/21 dt. 02.12.2021 at SURVEY NO 63/2/1 VARLA ROAD BEHIND MANJEET COTTON SENDHWA PINCODE 451666 & SHRI SHAILENDRA SHRIRAM AGRAWAL S/o. SHRI SHRIRAM RADHAKISAN AGRAWAL, AGED ABOUT 61 YEARS, RESIDING AT BHAI KOTWAL ROAD, CHOPDA, TH. CHOPDA & DIST. JALGAON (M.H) -425107 has joined as a new partner on 05th September 2025 in the firm M/S. SAMRADDHI COTTON CORPORATION Registration No. 03/31/05/0286/21 dt. 02.12.2021 AT SURVEY NO. 63/2/1 VARLA ROAD BEHIND MANJEET COTTON SENDHWA PINCODE 451666.

For: M/s. SAMRADDHI COTTON CORPORATION,

SIMMY MITTAL
(Partner).

(G-514)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपसिंह पिता श्री भगवत सिंह, निवासी– म.नं. 81, सांतरा, भोजपुर रायसेन (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रूपनारायण पिता श्री भगवत सिंह (RUPANARAYAN S/o. BHAGVAT SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम रूपसिंह पिता श्री भगवत सिंह (RUPA SINGH S/o. BHAGAVAT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व पढा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूपनारायण)	**(रूपसिंह)**
(RUPANARAYAN)	(RUPA SINGH)
	पिता श्री भगवत सिंह
	S/o. BHAGVAT SINGH.

(G-515)

नाम परिवर्तन

मैं, शुभम त्रिवेदी आत्मज श्री रामनरेश त्रिवेदी, निवासी– एमआईजी–2, दरवेश रेसीडेंसी, कटियार मार्केट, ललितानगर नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम शुभम त्रिवेदी आत्मज श्री रामनरेश त्रिवेदी (SHUBHAM TRIVEDI S/o. RAM NARESH TRIVEDI) है, मैं, अपना नाम परिवर्तन कराकर त्रिवियान त्रिवेदी आत्मज नया नाम श्री रामनरेश त्रिवेदी (TRRIVIYAN TRIVEDI S/o. RAM NARESH TRIVEDI) कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मैं, अपने सही नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एंव व्यक्तिगत दस्तावेजों में जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शुभम त्रिवेदी)	**(त्रिवियान त्रिवेदी)**

(G-516)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय घाटिया पिता जगदीशचन्द्र घाटिया, निवासी– मकान नं. 59, वार्ड नं. 05, महात्मा गाँधी मार्ग, पिपल्यामंडी, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश कृपाली घाटिया (KRAPALI GHAATIYA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री की अंकसूची आदि दस्तावेजों में कृपा घाटिया पिता विजय घाटिया (KRIPA GHATIYA D/o. VIJAY GHATIYA) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में कृपा घाटिया पिता विजय घाटिया (KRIPA GHATIYA D/o. VIJAY GHATIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विजय घाटिया)

पिता– जगदीशचन्द्र घाटिया.

(G-517)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पिंकी पत्नी अजय (PINKI W/o. AJAY), निवासी– गढ़ा खुर्द भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शारदा बाई पुत्री रति राम (SHARDA BAI D/o. RATI RAM) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पिंकी पत्नी अजय (PINKI W/o. AJAY) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शारदा बाई)	**(पिंकी)**
(SHARDA BAI)	**(PINKI)**
पुत्री– रति राम	पत्नी– अजय
D/o. RATI RAM	W/o. AJAY.

(G-518)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाह पुत्री कल्याण कुशवाह (laxmi kushwah D/o. kalyan kushwah), निवासी– ग्राम बामौरा, दामरोन शिवपुरी (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गुड़िया कुशवाह पुत्री कल्याण कुशवाह (gudiya kushwah D/o. kalyan kushwah) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरा सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. यह दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाह पुत्री कल्याण कुशवाह (laxmi kushwah D/o. kalyan kushwah) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़िया कुशवाह)	**(लक्ष्मी कुशवाह)**
(gudiya kushwah)	**(Laxmi kushwah)**
	पुत्री– कल्याण कुशवाह
	D/o. kalyan kushwah.

(G-519)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्याण यादव पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी– ग्राम चिटोरा तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.) मैं, अपने पुत्र धर्मेन्द्र यादव जिसका जन्म प्रमाण–पत्र शैक्षणिक प्रपत्रों में नाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र कल्याण यादव दर्ज हैं. भूलवश अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम पप्पे यादव पुत्र कल्याण यादव दर्ज है, जिसे में परिवर्तित कराकर धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री कल्याण यादव दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री कल्याण यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कल्याण यादव)

पिता– श्री राजाराम यादव.

(G-520)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दीनदयाल सिसोदिया (DINDAYAL SISODIYA) पिता किशोर सिसोदिया, निवासी– ग्राम मझानिया, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.). जो मेरे अंकसूची एवं जाति प्रमाण–पत्र में सही दर्ज है, परन्तु त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र सिंह (DHARMENDRA SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों पर मेरा नाम सही नाम दीनदयाल सिसोदिया (DINDAYAL SISODIYA) पिता किशोर सिसोदिया के नाम से पढ़ा–लिखा, जाना–पहचाना, एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धर्मेन्द्र सिंह)
(DHARMENDRA SINGH)

नया नाम

(दीनदयाल सिसोदिया)
(DINDAYAL SISODIYA)
पिता– किशोर सिसोदिया.

(G-521)

नाम परिवर्तन

मैं, कलिराम चीचाम S/o. साहबसिंह चीचाम, निवासी– जाकिर हुसैन वार्ड नं. 7, नगरपालिका आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश कालूराम अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक दस्तावेज में कलिराम S/o. साहबसिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य हैं, कालूराम और कलिराम दोनों एक ही व्यक्ति है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम कलिराम चीचाम (KALIRAM CHICHAM) S/o. साहबसिंह चीचाम (SAHAB SINGH CHICHAM) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा– पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कालूराम चीचाम)
(Kaluram Chicham)

नया नाम

(कलिराम चीचाम)
(KALIRAM CHICHAM)
S/o. साहबसिंह चीचाम.

(G-522)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम समर्थ पाटीदार (SAMARTH PATIDAR) पिता राहुल पाटीदार, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं समग्र आई डी में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम सम्राट पाटीदार (SAMRAT PATIDAR) पिता राहुल पाटीदार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजो पर उसका नाम सही नाम समर्थ पाटीदार (SAMARTH PATIDAR) पिता राहुल पाटीदार के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राहुल पाटीदार)

(G-523) पता– ग्राम देंदला, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम, निवासी– बिजलोन जिला सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश Riya माता सोनू सेन दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम राखी सेन (RAKHI SEN) पिता राधेश्याम सेन (RADHESHYAM SEN) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसे मैं, मेरी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. यह कि राखी सेन पिता राधेश्याम सेन व Riya माता सोनू सेन दोनों नाम एक ही महिला के अर्थात् मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को राखी सेन पिता राधेश्याम सेन (RAKHI SEN D/o. RADHESHYAM SEN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राधेश्याम सेन)

(G-524) पुत्र– कैलाश.

नाम परिवर्तन

मैं, शिवानी पटेल, परन्तु आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सतीष पटेल SATISH PATEL दर्ज हो गया है. जो कि पूर्ण असत्य है. मेरा सही नाम शिवानी पटेल SHIVANI PATEL है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र मे भी मेरा नाम शिवानी पटेल दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सतीष पटेल के स्थान पर शिवानी पटेल अंकित किया जावे.

प्रार्थिनी

(G-525) **(शिवानी पटेल).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम खुशबू पाटीदार (KHUSHBU PATIDAR) पिता जीवन सिंह है जो कि मेरी पुत्री के अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड मे त्रुटिवश उसका नाम महक पाटीदार (MAHAK PATIDAR) पिता जीवन सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम खुशबू पाटीदार (KHUSHBU PATIDAR) पिता जीवन सिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जीवन सिंह)

निवासी– वार्ड नं. 14, पाटीदार मोहल्ला,

(G-526) नेवरी तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजपाल सिंह यादव पिता श्री लाल साहब यादव, निवासी– 201, जी.–2, होशंगाबाद रोड, सहारा ई–स्टेट छान 11 मील, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हेमंत यादव पिता श्री राजपाल सिंह यादव (HEMANT YADAV S/o. RAJPAL SINGH YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम विवान यादव पिता श्री राजपाल सिंह यादव (VIVAN YADAV S/o. RAJPAL SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजपाल सिंह यादव)

पिता– श्री लाल साहब यादव.

(G-527)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनिकेत रावत पुत्र सतेन्द्र रावत (Aniket Rawat S/o. Satendra Rawat), निवासी– ग्राम पपरेदु, पोस्ट पपरेदु, तहसील करेरा, शिवपुरी (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंकित पुत्र सतेन्द्र (Ankit S/o. Satendra) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण--पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत रावत पुत्र सतेन्द्र रावत (Aniket Rawat S/o. Satendra Rawat) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सतेन्द्र सिंह).

(G-528)

नाम परिवर्तन

मैं, मान्या (MANYA) पुत्री श्री रामराज सिंह तोमर, मेरा पूर्व का नाम सानिया तोमर (SANIYA TOMAR) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मान्या पुत्री श्री रामराज सिंह तोमर के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मान्या एवं सानिया तोमर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलीसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सानिया तोमर के स्थान पर मान्या लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सानिया तोमर)

नया नाम
(मान्या)
पुत्री– श्री रामराज सिंह तोमर
पता– ग्राम मडोखर, कोंठर कलां, पोरसा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-529)

नाम परिवर्तन

मैं, रामकली बाई पत्नी श्री रघुनाथ अहिरवार, निवासी–मकरोनिया बुजुर्ग, थाना मकरोनिया, तह. व जिला सागर (म.प्र.) परन्तु में मेरे आधार कार्ड में मेरा गलती से नाम राधारानी अहिरवार दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम रामकली बाई है. जो मेरे मतदाता परिचय–पत्र में तथा मेरे पति के सर्विस अभिलेख में एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राधारानी अहिरवार के स्थान पर रामकली बाई नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(राधारानी)

नया नाम
(रामकली बाई).

(G-530)

नाम परिवर्तन

मैं, विकास कुमार पिता अनिल सिंह, निवासी– पुलिस थाना, वैहर बालाघाट, तहसील वेहर, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरी सर्विस बुक में त्रुटिवश मेरा नाम विकास कुमार राजपूत (VIKAS KUMAR RAJPUT) दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम विकास कुमार (VIKAS KUMAR) है जो कि मेरे समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे विकास कुमार राजपूत (VIKAS KUMAR RAJPUT) के स्थान पर मेरा सही नाम विकास कुमार (VIKAS KUMAR) लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(विकास कुमार)
(VIKAS KUMAR).

(G-531)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्पना खापर्डे, पुत्री जी. पी. खापर्डे, निवासी H-118, न्यू फोर्ट, बरखेड़ा, एसआरजी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे विवाह उपरांत मेरे कुछ दस्तावेज़ों व राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम "कल्पना सहारिया" दर्ज हो गया था. अब मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है और मैं, आगे अपना विवाहपूर्व नाम "कल्पना खापर्डे" ही प्रयोग करना चाहती हूँ. मेरे दस्तावेज़ों में दोनों नाम कल्पना सहारिया और कल्पना खापर्डे एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम "कल्पना खापर्डे (Kalpana Khaparde)" ही माना जावे.

प्रार्थिनी
(कल्पना खापर्डे).

(G-532)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वैस्नो देवी पत्नी श्री रामकुमार, निवासी– म.नं.– 140, राधा कृष्ण मंदिर के पास, वनखंडेश्वर रोड, भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पिंकी पत्नी श्री राम कुमार (PINKI W/o. RAM KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम वैस्नो देवी पत्नी श्री राम कुमार (VAISHNO DEVI W/o. RAM KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पिंकी)

नया नाम
(वैस्नो देवी)
पत्नी– श्री राम कुमार
(VAISHNO DEVI)
(W/o. RAM KUMAR).

(G-533)

उपनाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार झा (DEVENDRA KUMAR JHA) आत्मज श्री गंगा प्रसाद झा (GANGA PRASAD JHA) है. मेरे सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार (DEVENDRA KUMAR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम देवेन्द्र कुमार झा (DEVENDRA KUMAR JHA) आत्मज श्री गंगा प्रसाद झा (GANGA PRASAD JHA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(देवेन्द्र कुमार)
(DEVENDRA KUMAR)

नया नाम
(देवेन्द्र कुमार झा)
(DEVENDRA KUMAR JHA)
आत्मज– श्री गंगा प्रसाद झा
(GANGA PRASAD JHA).

(G-534)

नाम परिवर्तन

मैं, धीरेन्द्र मिश्रा आत्मज श्री राजकिशोर मिश्रा, निवासी– सी–38, आमरा इडन पार्क, बंजारी डी–सेक्टर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश रिमी मिश्रा (RIMI MISHRA) पुत्री श्री धीरेन्द्र मिश्रा (DHEERENDRA MISHRA) अंकित है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अनिका मिश्रा (ANIKA MISHRA) पिता धीरेन्द्र मिश्रा (DHEERENDRA MISHRA) है. जो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. रिमी मिश्रा (RIMI MISHRA) एवं अनिका मिश्रा (ANIKA MISHRA) दोनों एक ही व्यक्ति है.

आवेदक
(धीरेन्द्र मिश्रा).
पिता– श्री राजकिशोर मिश्रा

(G-535)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम रिषभ सिंह राठौर पुत्र पप्पू सिंह राठौर (RISHAB SINGH RATHOR S/o. PAPPU SINGH RATHOR), निवासी–139, बीजू खेड़ी, मांगलिया, सांवेर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम पीयूष पुत्र पूजा सोलंकी (PIYUSH S/o. POOJA SOLANKI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम रिषभ सिंह राठौर पुत्र पप्पू सिंह राठौर (RISHAB SINGH RATHOR S/o. PAPPU SINGH RATHOR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पप्पू सिंह राठौर).

(G-536)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नर्बदा प्रसाद उमरे पिता श्री भैया लाल उमरे, निवासी– म.नं. 30/31, सूरज कुंज नगर, बरखेड़ा पठानी, पिपलानी भेला, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नर्मदा प्रसाद उमरे (Narmada Prasad Umare) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम नर्बदा प्रसाद उमरे (Narbada Prasad Umre) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नर्मदा प्रसाद उमरे)
(Narmada Prasad Umare)

नया नाम
(नर्बदा प्रसाद उमरे)
(Narbada Prasad Umre).

(G-537)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्दर सिंह बलाई पिता नन्नूलाल बलाई, निवासी–ग्राम झाडला, पोस्ट भीलखेडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित (Ankit) पिता चंद शिघ (Chandra shigh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत बलाई (ANIKET BALAI) पिता चन्दर सिंह बलाई (CHANDAR SINGH BALAI) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम दर्ज है. जिसे मैं, मेरे पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अनिकेत बलाई (ANIKET BALAI) पिता चन्दर सिंह बलाई (CHANDAR SINGH BALAI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(चन्दर सिंह बलाई)
(CHANDAR SINGH BALAI).

(G-538)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अंकेश बघेल पिता श्री देवेन्द्र बघेल (ANKESH BHAGHEL S/o. DEVENDRA BHAGHEL), निवासी– नीम चंदोवा, बेला की बावड़ी, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंकित पिता श्री देवेन्द्र सिंह बघेल (ANKIT S/o. DEVENDRA SINGH BAGHEL) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अंकेश बघेल पिता श्री देवेन्द्र बघेल (ANKESH BHAGHEL S/o. DEVENDRA BHAGHEL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(देवेन्द्र बघेल)
पिता लख्खू राम बघेल.

(G-539)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम बबलू दांगी पिता श्री भारत सिंह (BABLU DANGI S/o. BHARAT SINGH), निवासी– ग्राम शाहबाजपुरा, पोस्ट तमोलिया, तहसील जीरापुर, शेहवाजपुरा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कुलदीप दांगी पिता श्री भारत सिंह (KULDEEP DANGI S/o. BHARAT SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम बबलू दांगी पिता श्री भारत सिंह (BABLU DANGI S/o. BHARAT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भारत सिंह दांगी)
आत्मज– श्री हजारीलाल दांगी.

(G-540)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम श्रीकांत साहू पिता भूरा साहू (SHRIKANT SAHU S/o. BHURA SAHU), निवासी–ग्राम बोरी शाहनगर, पन्ना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम उमा शंकर पिता भूरा (UMA SHANKAR S/o. BHOORA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम श्रीकांत साहू पिता भूरा साहू (SHRIKANT SAHU S/o. BHURA SAHU) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भूरा साहू)
पिता– विश्वनाथ साहू.

(G-541)

नाम परिवर्तन

मैं, निरंजन सिंह बघेल आत्मज श्री धनराज सिंह बघेल, निवासी–ग्राम आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.).मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम तनु बघेल (TANU BAGHEL) पुत्री निरंजन सिंह बघेल (NIRANJAN SINGH BAGHEL) दर्ज है. जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम शिवानी बघेल पुत्री श्री निरंजन सिंह बघेल दर्ज है. जहां कहीं भी मेरी पुत्री का नाम तनु बघेल पुत्री निरंजन सिंह बघेल दर्ज है. उसके स्थान पर नाम शिवानी बघेल (SHIVANI BAGHEL) पुत्री श्री निरंजन सिंह बघेल (NIRANJAN SINGH BAGHEL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(निरंजन सिंह बघेल)
आत्मज– श्री धनराज सिंह बघेल.

(G-542)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी मालवीय वाथवी (LAXMI MALVIYA VATHVI) पत्नी स्व. लक्ष्मी नारायण वाथवी (LAXMI NARAYAN VATHVI). निवासी– मकान नं. 12, सेक्टर–ए, गोपाल नगर, खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम रूपल (ROOPAL) पुत्री स्व. लक्ष्मी नारायण (LAXMI NARAYAN) दर्ज है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र में रूपल वाथवी (RUPAL VATHVI) पुत्री स्व. लक्ष्मी नारायण वाथवी (LAXMI NARAYAN VATHVI) है. जहां कहीं भी मेरी पुत्री का नाम रूपल (ROOPAL) पुत्री स्व. लक्ष्मी नारायण (LAXMI NARAYAN) दर्ज है. उसके स्थान पर मेरी पुत्री का नाम रूपल वाथवी (RUPAL VATHVI) पुत्री स्व. लक्ष्मी नारायण वाथवी (LAXMI NARAYAN VATHVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(लक्ष्मी मालवीय वाथवी)
(LAXMI MALVIYA VATHVI)
पत्नी– स्व. लक्ष्मी नारायण वाथवी
(LAXMI NARAYAN VATHVI).

(G-543)

नाम परिवर्तन

मैं, डोली (DOLLY) पत्नी परवेज आलम, निवासी– म.नं. 30 शांति नगर, निजामुद्दीन कालोनी, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम डोली, डोली बी, डाली खान एवं नगमा खानम पत्नी परवेज आलम दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम डोली, डोली बी, डाली खान एवं नगमा खानम पत्नी परवेज आलम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे डोली (DOLLY) पत्नी परवेज आलम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(डोली, डोली बी, डाली खान एवं नगमा खानम)

नया नाम
(डोली)
(DOLLY)
पत्नी– परवेज आलम.

(G-544)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शाहिदा कुरैशी पत्नी अनवर हुसैन कुरैशी, निवासी 317–A, ऐशबाग, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भोपाल (म.प्र.). विवाह पूर्व बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम शाहिदा बानो था. विवाह उपरान्त आधार कार्ड, पैनकार्ड व पासपोर्ट मे शाहिदा कुरैशी दर्ज है एवं मेरे पति को रेलवे द्वारा जारी पी.पी.ओ. में मेरा नाम शाहिदा बानो दर्ज है ये दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती शाहिदा कुरैशी पत्नी अनवर हुसैन कुरैशी (Shaheda Qureshi W/o. Anwar Hussain Qureshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शाहिदा बानो)
(Shaheda Bano)

नया नाम
(शाहिदा कुरैशी)
(Shaheda Qureshi)
पत्नी– अनवर हुसैन कुरैना
(W/o. Anwar Hussain Qureshi).

(G-545)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति पाठक पति बी.एल. पाठक, निवासी– 40, ब्राइट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा घरेलू नाम CHHUNNI BAI PATHAK मेरे दस्तावेज जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम ज्योति पाठक (JYOTI PATHAK) पति बी.एल. पाठक (B.L. PATHAK) है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. जिसको मेरे शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे ज्योति पाठक (JYOTI PATHAK) पति बी.एल. पाठक (B.L. PATHAK) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(CHHUNNI BAI PATHAK)

नया नाम
(ज्योति पाठक)
(JYOTI PATHAK)
पति– बी.एल. पाठक
(B.L. PATHAK).

(G-546)

नाम परिवर्तन

मैं, दाउद खा पिता बदूद खा, निवासी– ग्राम ताजिपुरा, सीन्कतुर्किपुरा जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम तमन्ना बी (TAMANNA BEE) पिता दाउद खा (DAUD KHAN) हैं, मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश अनीसा पिता दाउद दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को तमन्ना बी (TAMANNA BEE) पिता दाउद खा (DAUD KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(दाउद खा)
(DAUD KHAN)

(G-547)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजू शिंदे पिता भैयालाल शिंदे (RAJU SHINDE S/o. BHAIYALAL SHINDE) है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश टीकाराम शिंदे (Tikaram Shinde) पिता भैयालाल शिंदे (Bhaiyalal Shinde) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम दर्ज हैं. जिसे मैं अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राजू शिंदे पिता भैयालाल शिंदे (RAJU SHINDE S/o. BHAIYALAL SHINDE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(टीकाराम शिंदे)
(Tikaram Shinde)

नया नाम
(राजू शिंदे)
(RAJU SHINDE)
पिता– भैयालाल शिंदे
(S/o. BHAIYALAL SHINDE).

(G-548)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम अंजली ठाकुर पुत्री तोरन सिंह ठाकुर, निवासी– ग्राम अरवलिया, बेरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे समस्त दस्तावेजों में नाम अंजली रावत पुत्री तोरन सिंह (ANJALI RAWAT D/o. TORAN SINGH RAWAT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंजली ठाकुर पुत्री तोरन सिंह ठाकुर (ANJALI THAKUR D/o. TORAN SINGH THAKUR) जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंजली ठाकुर पुत्री तोरन सिंह ठाकुर (ANJALI THAKUR D/o. TORAN SINGH THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजली रावत)	(अंजली ठाकुर)
(ANJALI RAWAT)	**(ANJALI THAKUR)**
पुत्री– तोरन सिंह	पुत्री – तोरन सिंह ठाकुर
(D/o. TORAN SINGH RAWAT)	(D/o. TORAN SINGH THAKUR).

(G-549)

CHANGE OF NAME

I, Rajkumar Porwal S/o. Nirmal Kumar Porwal, here by Declare That I have changed My Name as Raj Kumar Porwal S/o. Nirmal Kumar Porwal so, from now and in future I will be known by my new name Raj Kumar Porwal S/o. Nirmal Kumar Porwal.

Old Name	New Name
(Rajkumar Porwal)	**(Raj Kumar Porwal)**
	S/o. Nirmal Kumar Porwal.
	Add:- 70, Vyas Colony, Indore (M.P.).

(G-550)

नाम परिवर्तन

मैं, शिल्पा सागर गेलड़ा पति सागर गेलड़ा, पता– 232, गांधीनगर, लक्ष्मी स्टेट, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड व स्कूल की अंकसूची में शिल्पा बुन्देला पिता रविशंकर बुन्देला विवाह के पूर्व का नाम अंकित है. प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे शिल्पा सागर गेलड़ा पति सागर गेलड़ा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिल्पा बुन्देला)	(शिल्पा सागर गेलड़ा)
पिता– रविशंकर बुन्देला	पति– सागर गेलड़ा,

(G-551)

नाम परिवर्तन

मैं, हरचन्द वसुनिया पिता मानजी वसुनिया, निवासी– ग्राम बिजनिपाड़ा, नरेला, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे सेवा अभिलेख में हरचन्द मानजी अंकित है जिसमें सरनेम अंकित नहीं है जबकि आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पैनकार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम हरचन्द वसुनिया पिता मानजी वसुनिया अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी
(हरचन्द वसुनिया)
पिता– मानजी वसुनिया.

(G-552)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, चाचौड़ा, जिला गुना, मध्यप्रदेश

चाचौड़ा, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

प्रारुप क्र. – 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1662 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड चाचौड़ा, जिला गुना के समक्ष

प्र.क्र.–0001–बी–113(1)/2025–26/270.– एतदद्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवरलाल पारीक से.नि. शासकीय अधिकारी, निवासी ग्राम मृगवास, तहसील कुंभराज एवं अन्य सदस्यगण गायत्री परिवार ट्रस्ट मृगवास, तहसील कुंभराज, जिला गुना द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंर्तगत लोक न्यास के रूप में गायत्री परिवार ट्रस्ट मृगवास, तहसील कुंभराज, जिला गुना, मध्यप्रदेश को पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. जो प्रकरण क्रमांक 0001/बी–113(1)/2025–26 पर दर्ज होकर इस न्यायालय में प्रचलनशील है.

अतः, उक्त प्रकरण के संबंध में जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह अपना पक्ष प्रकरण में नियत दिनांक 22 जनवरी 2026 को या इसके पूर्व न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगीः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	–	गायत्री परिवार ट्रस्ट मृगवास
2. लोक न्यास का पता	–	ग्राम मृगवास, तहसील कुंभराज, जिला गुना (म.प्र.).
3. चल सम्पत्ति	–	सूची अनुसार
4. अचल संपत्ति	–	सूची अनुसार

(G-553) **रवि मालवीय,** पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खिरकिया, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 1 जनवरी 2026

बनाम आम जनता

प्र.क्र.– 0003– बी–113–(4)–2025–26.– जरिए उद्घोषणा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामनिवास पिता जीवनदास, ग्राम पोखरनी, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत् श्री सत्यनारायण मंदिर, ग्राम पोखरनी, तहसील खिरकिया, जिला हरदा के पूर्व न्यासियों के फौत हो जाने के कारण मंदिर के संचालन एवं चल–अचल संपत्ति के देख रेख हेतु सदस्यों के नाम, मंदिर के न्यासी के रूप में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है.

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद–म्याद गुजरने के प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 01 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

(G-554) **शीवांगी बघेल,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

[नियम पांच–(1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्र.क्र.– 7114–बी–113–2025–26.– एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक सलीम परवेज पिता अब्दुल सत्तार निवासी– डॉ. अंसारी मार्ग जयस्तंभ, तहसील व जिला बुरहानपुर ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मंध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत् प्रस्तुत कर दिदार वैलफेयर ट्रस्ट 74/1 शनवारा रोड, जयस्तंभ, जिला बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. दिदार वैलफेयर ट्रस्ट 74/1 शनवारा रोड जयस्तंभ, बुरहानपुर द्वारा सचिव आवेदक सलीम परवेज पिता अब्दुल सत्तार निवासी– डॉ. अंसारी मार्ग जयस्तंभ, तहसील व जिला बुरहानपुर. (म.प्र.).
2. चल–संपत्ति निरंक है.
3. अचल–संपत्ति निरंक है.

(G-555) **अजमेर सिंह गौड़,** पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज), इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

प्र.क्र.–1298–ट्रस्ट–2025.– मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "उषाराज चेरिटेबल ट्रस्ट" तर्फे श्री धीरज गर्ग पिता राजेन्द्र गर्ग कार्यालय पता– 73, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा "श्री आदेश्वर फाउण्डेशन ट्रस्ट" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन--पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	–	"उषाराज चेरिटेबल ट्रस्ट"
कार्यालय का पता	–	73, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश
चल–संपत्ति	–	1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र)
अचल--संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 3 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-556)

इन्दौर, दिनांक 03 दिसम्बर 2025

प्र.क्र.–1301–ट्रस्ट–2025: मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "उषाराज एजुकेशनल ट्रस्ट" तर्फे श्री धीरज गर्ग पिता राजेन्द्र गर्ग कार्यालय पता– 73, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा "श्री आदेश्वर फाउण्डेशन ट्रस्ट" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	"उषाराज एजुकेशनल ट्रस्ट"
2.	कार्यालय का पता	–	73, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश
3.	चल–संपत्ति	–	1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र)
4.	अचल–संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 3 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-557)

इन्दौर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

प्र.क्र.–1327–ट्रस्ट–2025: मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (2) के अन्तर्गत आवेदक "श्री आदेश्वर फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता– 196, ई.डब्ल्यु.एस. सेक्टर बी, स्कीम नंबर 71, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा "श्री आदेश्वर फाउण्डेशन ट्रस्ट" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	–	"श्री आदेश्वर फाउण्डेशन ट्रस्ट"
कार्यालय का पता	–	196, ई.डब्ल्यु.एस. सेक्टर बी, स्कीम नंबर 71, इन्दौर, मध्यप्रदेश
चल–संपत्ति	–	50,000/– (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र)
अचल–संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 8 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-558) **निधि वर्मा,** पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग, राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

(फार्म– चार)

क्र.–1012–री.राऊ–2025.– आवेदक मितेश पिता राजाराम मालवीय, तर्फे मानव विकास सेवा ट्रस्ट एवं रिसर्च सेंटर, इन्दौर, पता–एलबी–42 नालंदा परिसर, ब्लॉक नंबर 6, इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस–1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	मानव विकास सेवा ट्रस्ट एवं रिसर्च सेंटर, इन्दौर
2.	पता	–	एलबी–42, नालंदा परिसर, ब्लॉक नंबर 6, इन्दौर
3.	अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4.	चल सम्पत्ति	–	

आज दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-559) **गोपाल सिंह वर्मा,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.01–बी–113–1–2025–26.– चूंकि, सुधीर कुमार जैन एवं अन्य के द्वारा "अतिशय क्षेत्र श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन समिति पुरानी बाजार बरेला, जबलपुर" के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2025 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपतियो को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम	–	" अतिशय क्षेत्र श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन समिति पुरानी बाजार बरेला", जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	–	भारतीय स्टेट बैंक बरेला शाखा के बचत खाता क्र. 30724734622 में राशि 8,93,481/– तथा सावधि निवेश में 2,00,183/– रुपये जमा.
3.	अचल सम्पत्ति	–	मोजा बरेला न.ब. 34/51 प.ह.न. 80/52 रा.नि.मं. खम्हरिया, तहसील व जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 311 (मद आबादी) वार्ड क्र. 9 पुरानी बाजार नगर परिषद बरेला, जबलपुर में 60, 170, 11560 वर्गफुट पर स्थित जिनालय स्थित है. आजाद वार्ड बरेला में 3600 वर्गफुट का भूखण्ड एवं शास्त्री वार्ड क्र. 7 बरेला स्थित संत निवास खसरा नं. 318,319,767,789 के भाग 9500 वर्गफुट के भूखण्ड पर स्थित 4356 वर्गफुट पर निर्मित तथा 5140 वर्गफुट खुली भूमि.

अभिषेक सिंह ठाकुर, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

(G-560)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चौरई, मध्यप्रदेश

चौरई, दिनांक 19 जनवरी 2026

प्रारुप – पांच

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

मौजा सिहोरा विसाला, प.ह.नं. 041, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र.क्र. 01–बी–113–2025–26.–चूँकि श्री जयशंकर साहू सेवा न्यास की ओर से अध्यक्ष श्री नवीन कुमार साहू पिता नरेन्द्र कुमार साहू, निवासी– परासिया रोड, छिंदवाडा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 19 जनवरी 2026 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ लोक न्यास अधिकारी, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 दिसम्बर 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री जयशंकर साहू सेवा न्यास

(G-561)

चौराई, दिनांक 19 जनवरी 2026

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

चूँकि, श्री जयशंकर साहू सेवा न्यास की ओर से अध्यक्ष श्री नवीन कुमार साहू पिता नरेन्द्र कुमार साहू, निवासी– परासिया रोड, छिंदवाडा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल–अचल संपत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

क्र. (1)	नाम वस्तु (2)	विवरण (3)	वजन तथा नग (4)
1.	चल संपत्ति	नगद राशि	बैंक स्टेटमैंट अनुसार 22,954/–
2.	अचल सम्पत्ति	ग्राम सिहोरा विशाला, तहसील चौराई, स्थित भूमि ख.नं 92, रकबा 0.526हे, ख.नं. 93, रकबा 0.243 हे, ख.नं. 94, रकबा 0.388 हे कुल रकबा 1.157 हे.	निरंक

प्रभात मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-562)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, डॉ अम्बेडकर नगर, महू, जिला इंदौर मध्यप्रदेश

महू, दिनांक 7 दिसम्बर 2026

प्रकरण क्र. 001–बी 113(1)–2024–25.– मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत् आवेदक न्यास भगवान श्री परशुराम जन्मस्थली तपोभूमि जानापाव इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत् भगवान श्री परशुराम जन्म स्थली तपोभूमि न्यास में सम्पूर्ण मंदिर व गतिविधियो ओर मुख्य ट्रस्ट के संचालनकर्ता पूर्णकालिक के रूप में स्वामी चिरंजीवी रामनारायण (प. नीलेश शर्मा) को मुख्य ट्रस्ट में स्थाई ट्रस्टी के रूप में महासचिव/सचिव के रिक्त पद जोड़े जाने का निवेदन किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह राजपत्र में सूचना प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/दावो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 07 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-563) **राकेश परमार,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, नौगाँव, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

नौगाँव, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) अधिनियम, 1962 के नियम, 5(1) के अंर्तगत]

श्री विवेक अग्रवाल, गायत्री परिवार ट्रस्ट, हरपालपुर, तह. नौगॉव, जिला छतरपुर, म.प्र. .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

प्र.क्र.– 0001– बी–113–2025–26.– आवेदक विवेक अग्रवाल, निवासी हरपालपुर, तह. नौगाँव, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट, हरपालपुर को लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास एवं उक्त संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहता है वह इस इश्तहार के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं या अभिभाषक/अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं अथ्वा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

1. न्यास का नाम व पताः– गायत्री परिवार ट्रस्ट, हरपालपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.).
2. न्यास की प्रकृति व उद्देश्यः– धार्मिक प्रकृति एवं उद्देश्य मानव धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन. जनकल्याण एवं समाज कल्याणकारी कार्य. न्यास की उन्मति एवं सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रखरखाव अन्य धर्म के प्रति सम्मान एवं श्रद्धाभाव हेतु प्रसार व प्रचार.
3. न्यास का मुख्य कार्यालयः– श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश होगा.
4. न्यास के आय के श्रोतः– दान, चन्दा एवं अन्य वैध मदों से.

आज दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-564) **जी. एस. पटेल,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापन दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., माण्डव.	329	31–05–1967	942	18–04–2017

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित–रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

जया मुकाती, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-565)

धार, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–क्यू–1– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसामापन में लायी जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., खरगोन	1016	1759/10.07.2025
2.	मॉ बिजासनी साख सह. संस्था मर्या., कालीबावड़ी	1618/21.09.2015	1759/10.07.2025
3.	श्री विनायक साख सहकारी संस्था. मर्या., उमरबन	1455/08.01.2014	1759/10.07.2025
4.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जामनझीरी	1154	1759/10.07.2025
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बायखेड़ा	1304/31.01.2012	1759/10.07.2025
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़दा	1505	1759/10.07.2025
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अगलाठा	1333/06.11.2012	1759/10.07.2025
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उखल्दा	1216	1759/10.07.2025
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीबावड़ी	1215/01.08.2006	1759/10.07.2025
10.	माँ नर्मदा अनु.जन, एवं यातायात एवं परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, टवलई	960/05.06.2012	1759/10.07.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, नियम 1960 के उपनियम नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण की किसी भी लाभ के बंटवारें से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे, तथा समिति की समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर के द्वारा जारी किया गया है.

तुलसीराम वास्केल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-566)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 10 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत]

क्र.--परि.--2025--क्यू.-- सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:--

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरी	1127/16.03.1997	888/24.07.2025
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्राहम्णगांव	1102/16.01.1997	888/24.07.2025
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहीपुरा	304/30.03.2012	888/24.07.2025
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी	222/11.09.2007	888/24.07.2025
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारा	223/11.09.2007	888/24.07.2025
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंजदी	229/01.11.2007	888/24.07.2025
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया	249/14.04.2008	889/24.07.2025
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला(अजंदी)	234/29.01.2008	889/24.07.2025
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घट्टी	207/07.07.2006	889/24.07.2025
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दवाना	610/23.04.1983	889/24.07.2025
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांवडेब	803/01.04.1991	889/24.07.2025
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसवां	351/22.03.2014	889/24.07.2025
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा	372/20.10.2024	889/24.07.2025
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरमोही	376/20.10.2024	889/24.07.2025

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से वर्तमान परिसमापक को किसी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम कमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना--पत्र के प्रकाशन के से 2 माह के भीतर मय--प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर लिखित रूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर, आस्तियों या अभिलेख रिकार्ड नहीं सौंपे गए हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

सूचना आज दिनाक 10 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-567) **राधेश्याम चौहान,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–728.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– परिसमापक–1224–रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चारगाँव, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 23 नवम्बर 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री अशोक कुमार शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चारगाँव विकास खण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 23 नवम्बर 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-568)

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–729.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1320–रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के द्वारा आर्दश हाथकरघा बूनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 09 मार्च 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए.पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरि.सह.निरी. द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्दश हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 09 मार्च 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ संस्था की निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-569) **छविकांत वाघमारे,** उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कार्यालय, श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक–परि.–2025–क्यू.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक/ दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बसान्द्रा	ए.आर./आ.डी.आर./856, दिनांक 26.06.1987	क्र./निर्वा./2025/4022, दिनांक 05.12.2025
2	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर	डी.आर./आ.डी.आर./691, दिनांक 14.10.1982	क्र./निर्वा./2025/4028, दिनांक 05.12.2025
3.	नवनिर्माण कृषि सहकारी संस्था मर्या., भवसाय, महू	डी.आर./आ.डी.आर./47, दिनांक 27.01.1964	क्र./निर्वा./2025/4029, दिनांक 05.12.2025
4.	सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., नन्दगांव	डी.आर./आ.डी.आर./230, दिनांक 16.02.1963	क्र./निर्वा./2025/4030, दिनांक 05.12.2025
5.	हरिजन आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सायदा.	डी.आर./आ.डी.आर./365, दिनांक 28.03.1970	क्र./निर्वा./2025/4031, दिनांक 05.12.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्दारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रुप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर .2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

अजय कुमार पाठक, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-570)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026—पौष 26, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.